भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

बोली दस्तावेज

(संविदा का कार्यक्षेत्र और विशेष शर्तें)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली के लिए सुरक्षा सेवाएं हायर करने हेतु

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

बोली दस्तावेज के लिए

पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली और 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन और वैशाली, गाजियाबाद के आवासीय परिसर हेतु सुरक्षा सेवाएं (सुरक्षा गार्ड/सुरक्षा पर्यवेक्षक) हायर करने के लिए

विषय सूची

अनुबंध-1 बोली प्रस्तुति फार्म

अनुबंध-2 बोलीदाताओं को निर्देश

अनुबंध-3 संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

अनुबंध-4 संविदा की विशेष शर्तें (एससीसी)

अनुबंध-5 कार्य/सेवा की अनुसूची

अनुबंध-6 तकनीकी बोली फार्म

अनुबंध-7 बोली के निबंधनों तथा शर्तों की स्वीकृति हेतु नोटरी शपथ-पत्र फार्म

अनुबंध-8 रिश्तेदारों तथा आईपीसी के तहत गैर दोष सिद्धि के लिए नोटरी शपथ-पत्र फार्म

अनुबंध-9 अनुभव हेतु नोटरी शपथ-पत्र फार्म

अनुबंध-10 अपेक्षित सेवा प्रदान करने के लिए नोटरी शपथ-पत्र फार्म

अनुबंध-11 करार ज्ञापन का फार्म

अनुबंध-12 निष्पादन बैंक गारन्टी का फार्म

अनुबंध-13 बोली प्रतिभूति फार्म

अनुबंध-1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 **दिनांक : 30.09.2022**

बोली प्रस्तुति फार्म

(बोलीदाता अपने लेटरहैड पर प्रिंट करने, हस्ताक्षरित, स्टैम्प लगाने, स्कैन करने तथा जीईएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु)

दिनांक:

बोली पत्र

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस),
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली -110124

संदर्भ: बोली दस्तावेज सं. /जीएस/97-2019 दिनांक : _._.2022 के लिए आमंत्रण

हम, अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि:

1. हमने जांच कर ली है और हमे बोलीदाताओं के लिए निर्देशों के अनुसार जारी किए गए परिशिष्ट सहित बोली दस्तावेजों पर कोई आपत्ति नहीं है।
2. हम आपके कार्यालय के लिए बोली दस्तावेज के अनुरूप **सुरक्षा सेवाएं** प्रदान करने का वचन देते हैं।
3. हमारी बोली, बोली दस्तावेजों के अनुसार बोली प्रस्तुति की अंतिम समय सीमा हेतु निर्धारित तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी और यह हम पर बाध्यकारी होगी तथा उस अवधि के समापन से पहले किसी भी समय स्वीकार्य होगी।
4. यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है, तो हम बोली दस्तावेजों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति जमा कराने का वचन देते हैं।
5. हम यह भी घोषणा करते है कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमें भ्रष्टाचार, घोखाधड़ी, कपटपूर्ण या प्रतिरोधी कार्यकलापों या गम्भीर प्रवृति की किसी अन्य विफलता/चूक में शामिल होने के आरोप पर अपात्र घोषित नहीं किया हैं या काली सूची में नहीं डाला है।
6. हम बोली दस्तावेज के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार करार करने और स्टैम्प शुल्क आदि सहित सभी व्यय को वहन करने का वचन देते है और यह करार हम पर बाध्यकारी होगा।
7. हम इस बोली दस्तावेज की सभी शर्तों एवं निबंधनों को भी स्वीकार करते हैं और इस शर्त सहित उनके पालन का वचन देते हैं कि आप उच्चतम रैंक की बोली/न्यूनतम बोली या किसी अन्य बोली जो प्राप्त करेंगे, को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(प्राधिकृत व्यक्ति बोलीदाता कम्पनी की तरफ से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न करेगा)

पूरा नाम और पदनाम
(बोलीदाता के लैटरहैड पर मुद्रित किया जाए)

अनुबंध-2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

बोलीदाताओं को निर्देश

1. सामान्य निर्देश

1.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, इसके बाद 'ग्राहक' के रूप में संदर्भित, अपने कार्यालय में हायर की गयी सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालयों/सरकारी विभागों से डील करने वाली प्रतिष्ठित फर्मों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से दो बोली प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के अंतर्गत ई-बोली (ऑन लाईन बोली) आमंत्रित करता है।

1.2 यद्यपि बोली दस्तावेजों को तैयार करने में त्रुटियों से बचने के लिये सभी प्रयास किये गये हैं, तथापि बोलीदाता को उसकी ध्यानपूर्वक जांच करने की सलाह दी जाती है। बोली दस्तावेजों में पाई गई किसी भी त्रुटि के संबंध में किसी भी दावे को नहीं माना जाएगा।

1.3 जीईएस पोर्टल से बोलीदाता को बोली दस्तावेज (संविदा का कार्यक्षेत्र और विशेष शर्तें) डाउनलोड करना चाहिए तथा हस्ताक्षर और मोहर के साथ बोली की प्रस्तुति के समय पुनः अपलोड करना चाहिए जो बोलीदाता के स्वयं के/उनके परिचित होने तथा संविदा की विभिन्न शर्तों सहित सम्पूर्ण बोली दस्तावेज (संविदा का कार्य क्षेत्र और विशेष शर्तें) की स्वीकृत करने के टोकन स्वरूप है।

1.4 बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकार के प्रमाण के तौर पर प्राधिकार पत्र/मुख्तारनामे की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

1.5 सभी बोलीदाताओं को इससे स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि संविदा की शर्तों के उल्लंघन के प्रस्ताव या सशर्त प्रस्ताव, न्यूनतम अहर्ता/पात्रता मानदंड पूरी न करने वाली बोली, तकनीकी बोली, अपेक्षित राशि/प्रारूप में ईएमडी के साथ न प्रस्तुत या बोली दस्तावेजों में निर्धारित अन्य कोई भी आवश्यकता अस्वीकृति के अधीन है।

1.6 बोली की पार्टियां 'बोलीदाता' (जिन्हें कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होंगे।

1.7 संविदा के सभी उद्देश्यों के लिये उसके अधीन विवाचन सहित, बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक बोलीदाता भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा अलग से पत्र द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देता। उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन सूचित करने मे त्रुटि या किसी भी चूक के परिणाम के लिये बोलीदाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

1.8 बोली दस्तावेज में वर्णित सुरक्षा बल की आवश्यक संख्या अनिश्चित है और ग्राहक के सक्षम प्राधिकारी के एकमात्र विवेकाधिकार पर बढ़ या घट सकती है। तद्नुसार संविदा की लागत बढ़/घट सकती है।

2. न्यूनतम पात्रता मानदंड

बोलीदाता के तकनीकी रूप से चयन के लिये न्यूनतम पात्रता मानदंड निम्नलिखित होंगे।

क. **कानूनी वैध इकाई:** बोलीदाता आवश्यक रूप से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत एक लिमिटेड कम्पनी या एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में कानूनी तौर पर एक वैध इकाई होनी चाहिए। जेवी/संघ, स्वामित्व, भागीदारी के रूप में बोलीदाता की अनुमति नहीं है। बोलीदाता की कानूनी वैधता के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

ख. **वित्तीय क्षमता:** बोलीदाता का बोली दस्तावेज के अनुसार सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए समान व्यवसाय में न्यूनतम सकल कारोबार होना चाहिए। उपरोक्त के समर्थन में उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगें।

ग. बोलीदाता आयकर विभाग, सेवा कर में पंजीकृत होगा और श्रम कानूनों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भी पंजीकृत होना चाहिए। समर्थन में सहायक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

घ. **अनुभव:** बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के लिये सरकारी विभागों के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का समान क्षेत्र में अनुभव होना चाहिये। समर्थन में उचित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

ङ **अनुज्ञप्ति:** बोलीदाता के पास निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (पीएसएआर) अधिनियम 2005 के तहत संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकारी की एक वैध अनुज्ञपित होनी चाहिए।

च. बोलीदाता का कार्यालय दिल्ली/दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होना चाहिए। बोलीदाता को इसके लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगें।

2.1 न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज

(i) 2(क) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में केवल फर्म/कम्पनी के सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि ही स्वीकार्य होगी।

(ii) 2(ख) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में पूर्ण हुए पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्रों की सत्यापित प्रति केवल स्वीकार्य होगी।

(iii) 2(ग) में न्यूनतम पात्रता मानदंड के पूर्ण पालन के प्रमाण में पैन की वैध सत्यापित प्रति, मजदूर पंजीकरण प्रति, ईपीएफओ पंजीकरण प्रति, ईएसआईसी पंजीकरण प्रति हो, स्वीकार्य होगी।

(iv) 2(घ) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में, सरकारी विभागों द्वारा जारी कार्य आदेशों की सत्यापित प्रति के साथ, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र जिसमें (पिछले तीन वर्षों के लिए क्षेत्र में लगातार अनुभव को दर्शाया गया हो, को प्रस्तुत करना होगा।

(v) 2(ड.) में न्यूनतम पात्रता मानदंड का पूर्ण पालन करने के प्रमाण में, निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियामक) (पीएएसआर) अधिनियम 2005 के तहत संबंधित राज्य नियंत्रण प्राधिकार्य द्वारा विधिवत जारी लाइसेंस की सत्यापित प्रति स्वीकार्य होगी।

(vi) अनुबंध 2 के खंड 6 के अनुसार अन्य दस्तावेज

3. बयाना राशि जमा:

3.1 यह बोली भारतीय स्टेट बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि जमा सहित होगी। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू होकर 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट **पीएओ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली के पक्ष में देय होना चाहिए।**

3.2 बोलीदाता को बयाना राशि जमा की एक प्रति स्कैन करनी चाहिए तथा इसे जीईएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए। बयाना राशि जमा की मूल प्रति वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट-9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली को बोली अपलोड करने के अंतिम समय अथवा उससे पूर्व भेजी जानी चाहिए। ईएमडी की मूल प्रति स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। यह व्यक्तिगत रूप से भी सौंपी जा सकती है। बोली को अपलोड करने के बंद होने से पूर्व ईएमडी की प्राप्ति न होने के मामले में, बोली को नहीं खोला जाएगा।

3.3 बोलीदाता, जो जीएफआर 2017, के नियम 170 के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट प्राप्त करने का पात्र है, जीईएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तकनीकी बोली के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें वैध छूट प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्रों) की हार्डकॉपी भी सलंग्न करनी है तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसे खण्ड 3.2 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

3.4 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा रखे गए किसी भी लंबित बिल के प्रति बयाना राशि या प्रतिभूति जमा या समायोजन के पहले जमा की गई राशि के अंतरण के लिये कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3.5 बोलीदाता को अपने प्रस्ताव को वापस लेने या इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन करने

की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें किये गये अनुबंध के पालन और पूरा करने मे विफल रहे या दर उद्धृत करने के बाद पीछे हटे, उपरोक्त बोली प्रतिभूति सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी।

3.6 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।

3.7 बयाना राशि जमा या प्रतिभूति जमा की राशि पर मूल्य या ब्याज में कटौती के संबंध में सरकार/विभाग के विरूद्ध कोई दावा नहीं होगा।

3.8 बोली प्रतिभूति (बयाना राशि जमा) जब्त कर ली जायेगी:

(i) यदि बोलीदाता बोली फार्म में बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले; या

(ii) सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता

(क) बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार संविदा हस्ताक्षरित करने में विफल होता है।

(ख) ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार अपेक्षित निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होता है।

(ग) सेवाओं या उसके भाग के लिये उसके स्वयं की उद्धृत कीमतों को मानने में विफल होता या अस्वीकार करता है।

(घ) ऐसे मामलें में, बोलीदाता भविष्य में निविदा देने से वंचित होने का पात्र है।

3.9 बयाना राशि जमा पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. बोली की वैधता

4.1 बोली, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **से 180 दिनों** की अवधि के लिये स्वीकृति हेतु वैध और खुली रहेगी।

4.2 यदि ग्राहक बोलीदाता के लिए बोलीदाता को बुलाता है तो इसे मूल प्रस्ताव, जो बोलीदाता पर बाध्यकारी है, का रद्दीकरण या वापस लेना नहीं माना जाएगा।

4.3 ग्राहक, बिना किसी आशोधन और इसका कोई कारण दिये बिना, 30 दिनों की अन्य अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध कर सकता है।

5. जीईएम पोर्टल में ई-बोली की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण

5.1 बोली दस्तावेज को इसकी निबंधन एवं शर्तों के साथ जीईएम पोर्टल पर अपलोड किया गया है। बोलीदाता वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकता है तथा बोली दस्तावेज देख सकता है। बोलीदाता को वैध जीईएम आईडी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से

जीईएम पोर्टल के माध्यम से तकनीकी तथा वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। जीईएम पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने के लिए और उपयोगी सूचना वेबसाईट जीईएम पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

5.2 बोलीदाता जो ई-अधिप्राप्ति में भाग लेने के इच्छुक है, जीईएम पोर्टल के माध्यम से अपनी बोलियां, दो बोली पद्धति अर्थात् तकनीकी बोलियों और वित्तीय बोलियों में प्रस्तुत करेगा।

5.3 बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली के समर्थन में बोली दस्तावेज के **अनुबंध 2 के खण्ड 6** में निहित आवश्यकताओं के अनुसार बयाना राशि जमा/छूट प्रमाणपत्र सहित सभी सुसंगत प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी चाहिए। बोलीदाता को अपनी यथार्थता/प्रामाणिकता के लिए स्वामित्व उत्तरदायित्व सहित अपने द्वारा अपलोड किए गए सभी विवरणों, दस्तावेजों आदि पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

5.4 बोलीदाता को भारत के सीएजी कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110124 के रिसेप्शन पर ड्रॉप बॉक्स में ''सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु बोली'' लिखे हुए सीलबंद लिफाफे में अथवा बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट तिथियों पर अथवा उससे पूर्व उक्त दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजे गए बोली दस्तावेज के **अनुबंध 2 के खण्ड 6** में वर्णित रूप में बयाना राशि जमा तथा सभी शपथ-पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

5.5 बोलीदाता को बोली दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार वित्तीय बोलियों को जीईएम पोर्टल पर अपलोड करना चाहिए।

5.6 यदि बोली ऑनलाइन (जीईएम पोर्टल) या मूल बयाना राशि जमा/छूट पत्र के माध्यम के अलावा प्रस्तुत किये गये हैं और अन्य दस्तावेज अर्थात शपथपत्रों को बोली दस्तावेज में वर्णित निर्धारित तिथि/समय के भीतर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बोली तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।

5.7 बोली दस्तावेज में महत्वपूर्ण तिथियां उल्लेखित है।

6 तकनीकी बोली

बोलीदाता को उपरोक्त निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करना अपेक्षित होगा और जीईएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तकनीकी बोली प्रस्तुत करेगा। निम्नलिखित दस्तावेजों को तकनीकी बोली में शामिल किया जाएगा:

क. **अनुबंध-1**: बोलीदाता को सत्व के लैटरहैड पर अनुबंध-1 के अनुसार ''बोली प्रस्तुतीकरण फार्म'' का प्रिंट लेना अपेक्षित होगा जिसे हस्ताक्षर, स्कैन और इसे जीईएम पोर्टल में बोली के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।

ख. **अनुबंध-7**: बोलीदाता को बोली दस्तावेज की निबंधनों एवं शर्तों की स्वीकृति के प्रभाव के लिए अनुबंध-7 के अनुसार ₹10/- के गैरन्यायिक स्टॉम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि शपथपत्र की प्रति को जीईएम पोर्टल पर स्कैन्ड और अपलोड किया गया है और उसी की एक कागजी प्रति ईएमडी के साथ और अन्य दस्तावेजों को बोली दस्तावेजों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार भेजी गयी है।

ग. **अनुबंध-8**: बोलीदाता को अनुबंध-8 के अनुसार ₹10/- के गैरन्यायिक स्टॉम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जो यह सिद्ध करें कि बोलीदाता का कोई भी संबंधी ग्राहक का कर्मचारी नहीं है और बोलीदाता, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और बोलीदाता भारतीय दंड संहिता अथवा समय पर लागू किसी अन्य कानूनों के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया गया हो और जीवन की किसी भी हानि के कारण अथवा संपत्ति अथवा सार्वजनिक अधिप्राप्ति संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति खतरा न पैदा करता हो। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि शपथ पत्र की प्रति जीईएम पोर्टल पर स्कैन्ड और अपलोड की है और इसकी कागजी प्रति ईएमडी के साथ और अन्य दस्तावेजों को बोली दस्तावेजों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार भेजा जाए।

घ. **अनुबंध-9**: बोलीदाता को अनुबंध-9 के अनुसार ₹ 10/- के गैर न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर एक नोटरी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जो यह सिद्ध करें कि बोली दस्तावेज की आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम अर्हता मानदंड को पूरी तरह से पालन किया है और भारत सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों में सेवाएं प्रदान की है और किसी संवेदनशील/वीवीआईपी क्षेत्र जैसे पीएमओ, आईबी, जीओआई के अधीन मंत्रालयों, राष्ट्रपति का सचिवालय, संसद, राज्य विधानसभाएं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अनुभव रखता है।

ङ. **अनुबंध-10**: बोलीदाता को अनुबंध-10 के अनुसार ₹10/- के गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर एक नोटरी शपथ-पत्र को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा, जो यह सिद्ध करें कि उसके पास बोली दस्तावेज की शर्तों के अनुसार अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने रोल पर प्रशिक्षित सुरक्षा है।

च. **अनुबंध-6: तकनीकी बोली प्रपत्र**: बोलीदाता को जीईएम पोर्टल में अनुबंध 6 के अनुसार तकनीकी बोली प्रपत्र को हस्ताक्षरित, स्कैन और अपलोड करना अपेक्षित होगा।

छ. **बयाना राशि जमा:** बोली दस्तावेज के खंड 3 के अनुसार जीईएम पोर्टल के माध्यम से बयाना राशि जमा या छूट प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति को अपलोड किया जाना चाहिए। बोलीदाता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंध 2 के खंड 2.1 के निर्देशों के अनुसार बयाना राशि जमा/छूट प्रमाण पत्र के मूल को कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

ज. **न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में दस्तावेज:** बोलीदाता को अपने न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने के समर्थन में बोली दस्तावेज के अनुबंध-2 के खंड 2.1 में उल्लिखित जीईएम पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक दस्तावेज को ऑनलाईन अपलोड किया जाना अपेक्षित है।

7. वित्तीय बोली:

7.1 बोलीदाता को भारतीय रूपये के संबंध में सुरक्षा सेवाओं की प्रत्येक और हर श्रेणी के लिए दरों को उद्धृत करना चाहिए। यदि सभी श्रेणी के लिए दरों को उद्धृत नहीं किया गया है, तो बोली वैध नहीं रहेगी और इसलिए उसे रद्द कर दिया जाएगा। **सफल बोलीदाता को संविदा देते समय समेकित कीमत पर विचार किया जाएगा।**

7.2 उद्धृत दरें स्थाई और अन्तिम होगी। कीमतों में सभी अर्थात् न्यनूतम मजदूरी, ईपीएफ, ईएसआईसी, यूनिफॉर्म व वर्दी, ग्रेच्युटी, बोनस, स्थानापन्न और समय-समय पर लगाए गए अन्य सांविधिक प्रभारों को शामिल किया जाना चाहिए।

7.3 बिलों के भुगतान के समय पर, आय कर और कोई अन्य कर/शुल्क आदि, जिनकी कटौती अपेक्षित है, के भुगतान के समय लागू सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी।

8. तकनीकी बोली मूल्यांकन का स्पष्टीकरण

8.1 तकनीकी बोलियां बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकित की जाएगी। बोलियों की जांच, मूल्यांकन तथा तुलना करने तथा बोलीदाताओं की अहर्ता में सहायता करने के लिए ग्राहक अपने विवेक से, किसी भी बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीदाता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण जो ग्राहक के अनुरोध की प्रतिक्रिया में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण एवं प्रतिक्रिया के लिए ग्राहक का अनुरोध पारंपरिक तरीके में लिखित में होगा।

8.2 यदि बोलीदाता स्पष्टीकरण के लिए ग्राहक के अनुरोध में निर्धारित तिथि तथा समय में अपनी बोली का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है तो उसकी बोली अस्वीकृत की जा सकती है।

8.3 खण्ड 2.1 के अनुसार ग्राहक बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेजों पर जारीकर्ता एजेन्सी से पुष्टि/स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार भी रखता है।

9. तकनीकी बोली मूल्यांकन

9.1 ग्राहक पृथक बोली मूल्यांकन प्रणाली का अनुसरण करेगा जहां तकनीकी बोली व वित्तीय बोली अलग से मूल्यांकित की जाएगी।

9.2 तकनीकी बोली का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा:

(i) कि बोलीदाता ने जीईएम पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध–1 के अनुसार 'बोली प्रस्तुतीकरण प्रपत्र' की प्रति को हस्ताक्षरित, स्कैन्ड और अपलोड किया है।

(ii) कि बोलीदाता ने जीईएम पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध–6 के अनुसार तकनीकी बोली प्रपत्र की प्रति को हस्ताक्षरित, स्कैन्ड और अपलोड किया है।

(iii) कि बोलीदाता ने जीईएम पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध–7 के अनुसार नोटरी शपथपत्र की प्रति को स्कैन और अपलोड किया है।

(iv) कि बोलीदाता ने जीईएम पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध–8 के अनुसार नोटरी शपथपत्र की प्रति को स्कैन और अपलोड किया है।

(v) कि बोलीदाता ने जीईएम पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध-9 के अनुसार नोटरी शपथपत्र की प्रति को स्कैन्ड और अपलोड किया है।

(vi) कि बोलीदाता ने जीईएम पोर्टल में निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध-10 के, अनुसार नोटरी शपथ-पत्र की प्रति को स्कैन्ड और अपलोड किया है।

(vii) कि जीईएम पोर्टल में बयाना राशि जमा की प्रति को स्कैन और अपलोड किया है। मूल ईएमडी और अन्य शपथ-पत्र को बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(viii) कि बोलीदाता अनुबंध-2 के खंड 2.1 के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करता है और अनुबंध-2 के खंड 2 और 2.1 के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड के समर्थन में सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड किया।

9.3 बयाना राशि जमा का मूल, अनुबंध-1, अनुबंध-6, अनुबंध-7, अनुबंध-8 अनुबंध-9, अनुबंध-10 और बोलीदाता की ओर से हस्ताक्षरित प्राधिकृत पत्र को भर कर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली – 110124 के रिसेप्शन पर ड्रॉप बाक्स में 'सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु बोली' उपरलिखित लिफाफे में बोलीदाता द्वारा सुपुर्द किया जाना चाहिए अथवा उपरोक्त दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट तिथियों को या उससे पहले भेजे जाने चाहिए।

9.4 यदि बोली ऑनलाईन (जीईएम पोर्टल) माध्यम के अलावा प्रस्तुत की जाती है अथवा मूल बयाना राशि जमा/छूट पत्र और अन्य दस्तावेज अर्थात् शपथपत्र बोली दस्तावेज में उल्लिखित निर्धारित तिथि/समय के भीतर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाते है, तो बोलियों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

9.5 पर्याप्त रूप से उत्तरदायी बोली वह होगी जो पूर्ण रूप से बोली दस्तावेज की आवश्यकता को पूरा करती है। बोली दस्तावेजों के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा न करने वाली तकनीकी बोली रद्द कर दी जाएगी।

9.6 बोलीदाता, जो तकनीकी मूल्यांकन चरण में अहर्ता पायेगा, केवल उसे ही वित्तीय बोली खोलने के लिए बुलाया जाएगा। ग्राहक लिखित पत्राचार द्वारा वित्तीय बोली खोलने के लिए समय/स्थान बोलीदाता को सूचित करेगा।

10. वित्तीय बोली खोलने की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी रूप से अहर्ता प्राप्त सभी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां, जिनकी बोलियां अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप स्वीकार की गई है, वे निर्धारित दिनांक व समय को खोली जाएगी।

10.2 वित्तीय बोली की संवीक्षा से पूर्व सबसे कम बोली लगाने वाला अकेला बोलीदाता होना सबसे कम बोली लगाने वाले को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि वह बोली प्रकिया में सफल है।

11. स्वीकृति का अधिकार:

11.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को उन बोलीदाताओं की बोलियों सहित किसी बोली को बिना कोई कारण बताएं अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल होने पर अस्वीकृत करने का अधिकार है और **वह सबसे न्यूनतम अथवा अन्य किसी विशिष्ट बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।** इस सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

11.2 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बोलीदाता की ओर से कोई भी विफलता तथा कार्य के लिए कैनवास करने का कोई भी प्रयास बोलीदाता की बोली के अस्वीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

11.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को किसी भी सफल एजेंसी (यों) को अपने विवेक से कोई अथवा पूर्ण अथवा आंशिक संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

11.4 एजेंसी, जिसे संविदा दिया गया है, द्वारा संविदा के निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानों का

अनुपालन करने मे विफल होने पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अगले उच्च बोलीदाता या अन्य बाह्य एजेंसी को संविदा देने का अधिकार है और कीमत का अन्तर चूककर्ता एजेंसी से वसूल किया जाएगा जिसे शुरूआत में संविदा को प्रदान किया गया और यह बोलीदाताओं पर बाध्यकारी है।

11.5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदा समाप्त कर सकता है यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार को किसी भी सरकारी विभाग/संस्थाओं/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि द्वारा पिछले किसी समय पर ब्लैक लिस्ट/डीबार किया गया है।

12 ''स्वीकृति पत्र'' जारी करके कार्यवाही करने की अधिसूचना

12.1 सफल न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण करने के बाद, ग्राहक प्रतिलिपि में सभी सूची में शामिल एजेंसी(यों)/फर्म (मों), स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करेगा, जो विधिवत स्वीकार कर एक प्रति ग्राहक को वापस करेगी, जो उसके द्वारा उसे प्राप्त होने के **तीन (3) दिनों** के भीतर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत अभिस्वीकृत स्वीकृत और हस्ताक्षरित होगी।

12.2 बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी करना अभिन्न भाग होगा और संविदा के लिए बाध्यकारी होगा।

12.3 स्वीकृति पत्र और नोटिस को आगे बढ़ाने की तारीख के बीच लिया गया समय लामबंदी के लिए संविदाकार को नहीं रोक पाएगा।

13. बयाना राशि जमा (बोली प्रतिभूति राशि) वापिस करना

13.1 ***तकनीकी बोली मूल्यांकन स्तर*** में विफल बोलीदाता की बयाना राशि जमा पात्र वित्तीय बोलियों को खोलने के बाद सात (7) दिन के अंदर उनकी खोली न गयी वित्तीय बोलियों के साथ वापिस कर दी जाएंगी।

13.2 ***वित्तीय बोली मूल्यांकन स्तर*** में विफल बोलीदाताओं की बयाना राशि जमा सफल बोलीदाता को संविदा देने पर सात (7) दिन के अन्दर वापिस कर दी जाएगी।

13.3 बोलियां खोलने के बाद बोली के रद्दीकरण के मामले में और वित्तीय बोलियां खोलने से पूर्व सभी बोलीदाताओं की बयाना राशि जमा उनकी खोली न गयी वित्तीय बोलियों के साथ वापिस कर दी जाएंगी।

13.4 विफल बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

13.5 सफल बोलीदाता की बयान राशि निष्पादन प्रतिभूति/निष्पादन बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात वापिस कर दी जाएगी।

अनुबंध-4

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 **दिनांक : 30.09.2022**

संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी)

1. परिभाषाएं

1.1 सामान्य

अनुसूचियों सहित इस संविदा में निम्नलिखित शब्दों व वाक्याशों का अर्थ वही होगा (जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो) जो इस अनुसूची में उन्हें दिया गया है।

"करार"	'करार' तथा 'संविदा' शब्द को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है।
पार्टी	पार्टी शब्द से अभिप्राय उस सफल बोलीदाता से है जिस को सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य दिया गया है तथा ग्राहक ''भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय''।
स्वीकृति पत्र	का अर्थ अपने परिसर में सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाता को नियुक्त करने की ग्राहक की इच्छा से है।
प्रारंभ करने का नोटिस	का अर्थ उस तिथि से होगा जब से ग्राहक के परिसर में सुरक्षा सेवाएं प्रारंभ की जानी हैं।
गोपनीय सूचना	का अर्थ उस समस्त सूचना से है जो सामान्य तौर पर ज्ञात नहीं होती तथा संविदा की अवधि के दौरान प्राप्त/मिली है तथा वाणिज्यिक मूल्य वाली सूचना सहित ग्राहक के व्यवसाय/परिसम्पत्ति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।
समाप्ति तिथि	का अर्थ एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी गई समाप्ति के नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि से है, जिससे संविदा समाप्त हो जाएगी।
समाप्ति नोटिस	का अर्थ एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिए गए समाप्ति नोटिस से है।
संविदाकार	का अर्थ उस सफल बोलीदाता से है जिसे ग्राहक के परिसर में सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का कार्य दिया गया है।

1.2 गोपनीयता

1.2.1 संविदाकार ग्राहक के व्यापार की स्वामित्व संबंधी सूचना, कोई गोपनीय सूचना अथवा ग्राहक के व्यापार के सुरक्षा प्रबन्ध (कार्य निर्देश, कार्यक्रम तथा अन्य अनुवर्ती करारों

सहित परन्तु इन तक सीमित नहीं) को किसी तीसरे पक्ष को बताने, प्रकट करने तथा/अथवा प्रचारित न करने के लिए सभी सावधानी बरतेगा। दायित्व किसी कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं है तथा संविदाकार को ग्राहक की सूचना की गोपनीयता के उल्लंघन के मामले में उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

1.2.2 यदि संविदाकार को प्रैस/समाचार/मीडिया/रेडियों/टेलीविजन अथवा अन्य निकायों/व्यक्तियों से पूछताछ प्राप्त होती है, तो ऐसी पूछताछ की प्राप्ति पर यह तुरन्त संविदाकार द्वारा ग्राहक को सूचित किया जाएगा।

1.2.3 सुरक्षा कर्मचारी किसी भी रूप में कोई आभार, टिप अथवा पारितोषिक स्वीकार नहीं करेगा।

2. निष्पादन बैंक गारंटी (प्रतिभूति जमा)

2.1 सफल बोलीदाता स्वीकृति पत्र की स्वीकृति के पन्द्रह दिनों के अन्दर वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के पक्ष में भुगतान योग्य स्वीकृत संविदा मूल्य के 10% के बराबर राशि भारतीय स्टेट बैंक की बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बैंक गारंटी निष्पादित करेगा। निष्पादन प्रतिभूति/निष्पादन बैंक गारंटी सेवा प्रदाताओं के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

2.2 बैंक गारंटी को संविदा की किसी निबंधन/शर्त के उल्लंघन या लापरवाही या कार्य आदेश की गैर अनुपालन या असंतोषजनक निष्पादन या गैर स्वीकृति के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर, उपरोक्त बैंक गारंटी का ऐसा भाग जिसे फर्म के बिलों पर किए गए गलत या अधिक भुगतान को कवर करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पर्याप्त माना गया हो, रोका जा सकता है, जब तक फर्म के बिल के लेखे पर अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति और जांच नहीं हो जाती।

क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति को जमा करने के लिए बुलाया जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में विफल रहता है तो ऐसी विफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदाकार के जोखिम, लागत तथा खर्च पर अन्य व्यवस्था करने का हकदार होगा।

ख) सभी संदर्भो में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर निर्धारित फार्म में पूर्ण गैर-मांग प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित संविदाकार

को जारी किए गए किन्हीं विनिर्देशनों, नमूनों अथवा अन्य संपत्ति के अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के जमा प्रतिभूति संविदाकार को वापिस की जाएगी।

3. प्रारंभ करने का नोटिस

सफल बोलीदाता से एलओए की स्वीकृति तथा निष्पादन बैंक गारन्टी सुनिश्चित करने के पश्चात, ग्राहक संविदाकार को निर्दिष्ट स्थानों पर कार्यालय में सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत करते हुए 'प्रारंभ करने का नोटिस' जारी करेगा।

4. संविदा करार पर हस्ताक्षर करना

4.1 सफल बोलीदाता सेवाएं प्रारंभ करने से पहले संविदा करेगा तथा करार ज्ञापन के अनुसार संविदा करार निष्पादित करेगा तथा इस पर हस्ताक्षर करेगा।

4.2 ग्राहक दोनो पार्टियों के बीच करार की सभी शर्तों को उचित रूप से शामिल करते हुए इस दस्तावेज में शामिल प्रोफार्मा में मसौदा करार ज्ञापन तैयार करेगा तथा सफल बोलीदाता की सहमति हेतु इसे डुप्लीकेट रूप में उसे भेजेगा।

4.3 सफल बोलीदाता ग्राहक से मसौदा करार ज्ञापन की प्राप्ति के दो (02) दिनों के अन्दर सही राशि के स्टाम्प पेपर पर विधिवत मुद्रित, स्टाम्प के रजिस्टार द्वारा विधिवत अधिनिर्णीत, जहां संविदा का निष्पादन किया जाना प्रस्तावित है, मसौदा करार ज्ञापन की विधिवत सहमत प्रतियां वापस करेगा।

4.4 ग्राहक का सक्षम प्राधिकारी संविदा करार पर हस्ताक्षर करेगा तथा इसकी एक प्रति सफल बोलीदाता को वापस करेगा।

5. ग्राहक द्वारा अपेक्षित सेवाएं

5.1 संविदाकार आवश्यकता अनुसूची में बताए गए कार्य निर्देशों के साथ पठित इसमें निहित विवरणो के अनुसार ग्राहक के परिसर में अथवा ग्राहकों द्वारा अपेक्षित किसी अन्य स्थान पर गार्ड सेवा प्रदान करेगा।

5.2 ग्राहक बोली प्रक्रिया के समय ग्राहक एवं संविदाकार के बीच सहमति के अनुसार प्रभारों का भुगतान करेगा। प्रभारों की अनुसूची बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर राशि को अन्तिम रूप देने के पश्चात करार ज्ञापन के साथ संलग्न की जाएगी।

5.3 संविदाकार सभी स्थानो में 8 घंटे की शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। संविदाकार ग्राहक के परिसर में इसकी सम्पूर्ण संतुष्टि के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा तथा यह संविदाकार का एकमात्र दायित्व है कि कार्य संविदाकार के उत्तरदायित्व के अनुसार सभी संदर्भो में क्रियान्वित हो।

5.4 संविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई भी सुरक्षा कर्मी एक दिन में 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा अर्थात् एक कार्य शिफ्ट में अधिकतम 4 घंटे का ओवर टाईम (8 घंटे की नियमित शिफ्ट के अतिरिक्त) ही स्वीकार्य होगा। यदि संविदाकार एक दिन में 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी में सुरक्षा कर्मी को लगाने/तैनात करता पाया जाता है, तो ऐसी अवधि के लिए संविदाकार द्वारा प्रस्तुत बीजकों से अनिवार्य लागू कटौतियों की जाएगी और ग्राहक द्वारा संविदाकार के विरूद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी।

6. सेवाओं का प्रारंभ

संविदा कानूनी रूप से केवल बाध्यकारी एवं लागू होगी:

6.1 निष्पादन बैंक गारंटी का प्रस्तुतीकरण

6.2 संविदाकार ग्राहक के परिसर में कार्य करने के नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनो के अन्दर गार्ड सेवा आरंभ करेगा।

6.3 संविदाकार ग्राहक के कार्यालय को गार्ड सेवा के आरंभ होने के पश्चात उनकी फर्म द्वारा विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ तथा पुलिस द्वारा सत्यापन के साथ सुरक्षा स्टॉफ के संबंध में विस्तृत बायोडाटा प्रस्तुत करेगा। शर्तो को पूरा न करने की स्थिति में, संविदा को समाप्त किया जा सकता है तथा अगले उच्चतर बोलीदाता को संविदा दी जाएगी। संविदाकार ग्राहक द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने के लिए भी दायी होगा।

7. संविदाकार का उत्तरदायित्व

7.1 संविदाकार आवश्यकता अनुसूची में बताए गए कार्य निर्देशों के अनुसार ग्राहक के परिसर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा, जिन्हें संविदागत अवधि के दौरान ग्राहक द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है तथा यह सदैव संविदा का भाग होगा। संविदाकार समय-समय पर ग्राहक द्वारा दिए गए ऐसे कार्यों का पालन करेगा।

7.1.1 कार्य निर्देशो के अलावा, ग्राहक सभी स्थानों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु संविदाकार को निर्देश जारी करेगा। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के निर्देशों के अनुसार सभी सुरक्षा निर्देशो का पूर्ण रूप से अनुपालन किया गया है। कर्तव्यों में लापरवाही की स्थिति में अथवा निर्देशो का अनुपालन न होने की स्थिति में अथवा संविदा की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में, संविदा समाप्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, संविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा संविदाकार ग्राहक द्वारा ब्लैक लिस्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.2 कार्य निर्देशो के अनुसार तथा ग्राहक के निर्देशो के अनुसार संविदाकार अपनी सेवाएं देने के लिए अपने वर्दीधारक तथा प्रशिक्षित कार्मिकों के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा तथा ये नियुक्त सुरक्षा कार्मिक केवल संविदाकार के कर्मचारी होंगे तथा ग्राहक

किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होगा और सभी सांविधिक देयताओं (जैसेकि ईएसआई एवं पीएफ आदि) का भुगतान संविदाकार द्वारा किया जाएगा।

7.3 संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानो के तहत कवर किया गया है। संविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा कर्मचारियों का वेतन किसी भी परिस्थिति के तहत प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।

7.4 संविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी सुरक्षा कार्मिकों को ग्राहक के साथ मासिक संविदागत राशि के अनुरूप उनका वेतन दिया गया है। यदि यह पाया जाता कि संविदाकार ने सुरक्षा कर्मचारियों को ग्राहक के साथ संविदागत राशि से कम वेतन दिया है तो संविदा बिना किसी पूर्व नोटिस के समाप्त कर दिया जाएगा, संविदाकार द्वारा प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा तथा संविदाकार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

7.5 संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सुरक्षा सेवा देते समय सुरक्षा कार्मिकों को ईपीएफ, ईएसआईसी तथा समय-समय पर लागू अन्य कानूनो के प्रावधानों के तहत कवर किया गया है। संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि ईपीएफ तथा ईएसआई के कारण कटौती की गई राशि तथा सुरक्षा कार्मिक के वेतन से कटौती की गई अन्य राशि का विवरण ग्राहक को मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जाए।

7.6 संविदाकार ग्राहक को अपने कार्मिकों के लिए समय समय पर ईपीएफ, ईएसआईसी बोनस, अवकाश, वर्दी, राहत आदि जैसे सांविधिक लाभों के भुगतान का विवरण प्रस्तुत करेगा। संविदाकार को तिमाही आधार पर सुरक्षा कार्मिकों के संदर्भ में ईपीएफओ, ईएसआईसी तथा किसी अन्य लागू संगठन के पास जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

7.7 ग्राहक को किसी भी ऐसे सुरक्षा कार्मिक जिसे अनावश्यक या अन्यथा समझा जाए, को कारण सहित हटाने का अधिकार होगा तथा इसी प्रकार संविदाकार को ग्राहक की पूर्व अनुमति के साथ आपातकाल में, छूट प्राप्त होने में गार्ड को हटाने का अधिकार होता है।

7.8 संविदाकार ड्यूटी के समय अपने सुरक्षा कार्मिक को व्यक्तिगत दुर्घटना एवं मृत्यु के लिए कवर करेगा तथा ग्राहक की इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व नहीं होगा।

7.9 संविदाकार कार्य निर्देशों के अनुसार गार्ड सेवा का उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण करेगा।

7.10 संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मियो को ग्राहक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना परिसर के बाहर ग्राहक की कोई सम्पत्ति ले जाने का अधिकार न हो।

7.11 संविदाकार अपने सभी कर्मचारियो को पहचान कार्ड /पहचान पत्र दस्तावेज जारी करेगा जिसे संविदाकार द्वारा लगाने का निर्देश दिया जाएगा।

7.12 संविदाकार के कार्मिक ग्राहक के कर्मचारी नहीं होंगे तथा वे इस संविदा के अन्तर्गत अपनी तैनाती/ड्यूटी से उद्भूत होने वाले किसी वेतन अथवा भत्ते, मुआवजा, क्षति अथवा अन्य कुछ आदि का दावा नहीं करेगें। संविदाकार इस करार के अन्तर्गत तैनाती से पहले लिखित रूप में उनको इस स्थिति के बारे में जानकारी देगा।

7.13 संविदाकार अपने कर्मचारियों को अपनी स्वयं की लागत पर सभी लाभ, सांविधिक या अन्यथा भी उपलब्ध कराएगा और ग्राहक की इस कारण से कोई देयता नहीं होगी। संविदाकार श्रम कानून, ईपीएफ कानूनों, ईएसआईसी कानूनों, आयकर कानूनों और न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदा श्रम (विनियमन उन्मूलन अधिनियम) या लागू अन्य कानून का पालन करेगा।

7.14 संविदाकार अपनी स्वंय की लागत पर अपने सुरक्षा कार्मिकों को वर्दी प्रदान करेगा।

7.15 संविदाकार अपने सभी कार्मिकों को ईपीएफ, श्रम, ईएसआईसी आदि के सुसंगत कानूनो के तहत कवर करेगा। संविदाकार को समय समय पर ग्राहक को इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

7.16 संविदाकार अपने कार्मिकों के मासिक मजदूरी भुगतान को दर्शाने वाली मजदूरी शीट की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

7.17 नियुक्त सुरक्षा स्टॉफ के पिछले जीवन वृत्त को भी स्थानीय पुलिस प्राधिकारी से संविदाकार द्वारा सत्यापित कराया जाएगा तथा इस संबंध में एक वचनबद्धता ग्राहक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7.18 दो पार्टियों के बीच सहमत प्रचलित कार्य निर्देशो के अनुसार कथित सुरक्षा सेवाओं के सही निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उचित पर्यवेक्षण प्रदान किया जाएगा।

7.19 संविदाकार स्थान-वार सभी सुरक्षा कर्मिको के उपस्थिति रजिस्टर का तैयार करना सुनिश्चित करेगा। सभी स्थानो के उपस्थिति रजिस्टर को ग्राहक के सक्षम प्राधिकारी के साथ दैनिक आधार पर संविदाकार द्वारा सत्यापित करवाया जाएगा।

7.20 संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी एजेंसी के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक/ परिचालन प्रबंधक दिन तथा रात दोनो शिफ्टो में दैनिक आधार पर गश्त करें। गश्त लगाने की रिपोर्ट संविदाकार द्वारा ग्राहक को साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

7.21 सभी आवश्यक रिपोर्टे तथा अन्य सूचना की आवश्यक रूप में तुरन्त आपूर्ति की जाएगी तथा ग्राहक के साथ नियमित बैठक की जाएगी।

8. संविदाकार की देयता

8.1 संविदाकार किसी भी देयता, दावों, हानि या नुकसान किए जाने या उनके द्वारा संविदा भंग किए जाने के किसी कारण, गलत कार्य या संविदाकार या ग्राहक की गार्ड सेवाओं के प्रदान करने में लगे उसके किसी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही के प्रति संविदाकार पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने और ग्राहक और उसके कर्मचारियों को हानि रहित रखेगा।

8.2 संविदाकार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा तथा ग्राहक को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार की प्रकृति की किसी हानि,चोट क्षति, लागत या व्यय को माफ करने का अधिकार है:

8.2.1 जो किसी जैविक या रासायनिक संदूषण अथवा किसी परमाणु जोखिम के परिणामस्वरूप अथवा उस संबंध में उत्पन्न हुई:

8.2.2 किसी भी कारण से (कम्प्यूटर वायरस तक सीमित नहीं किन्तु सहित) इलैक्ट्रानिक डाटा की हानि, क्षति, विनाश, विकृति, मिटाना, हटजाने या संशोधन के फलस्वरूप अथवा इस संदर्भ में उत्पन्न कारण को शामिल करते हुए जब तक कि इलैक्ट्रानिक डाटा की ऐसी हानि, क्षति, विनाश, विकृति, मिटाना या हट जाना या संशोधन संविदाकार या उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही या चूक के कारण न हुई थी जो ग्राहक को गार्ड सेवा प्रदान करते हो।

8.3 संविदाकार ग्राहक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविदा या उसके किसी भाग की उप संविदा का हस्तातंरण नहीं करेगा या कार्य नहीं सौंपेगा। संविदाकार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ग्राहक संविदाकार के जोखिम एवं लागत पर अन्य किसी को संविदा देने का हकदार होगा और संविदाकार उस हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, जो ग्राहक को संविदा को इस प्रकार प्रतिस्थापित करने के कारण हुई हो।

9. ग्राहक के दायित्व

9.1 संविदाकार के किसी भी कर्मचारी को ग्राहक द्वारा ग्राहक की सेवाएं छोडने से 6 माह की अवधि के अन्दर उसी तरीके में अन्य किसी संविदाकार के माध्यम से अनुबंधित या नियुक्त नहीं किया जाएगा।

9.2 स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर ग्राहक अपने खर्चे पर गार्ड सेवा देने के लिए संविदाकार के कर्मचारियों को समर्थ बनाने के लिए समय पर उन स्थानो पर अपेक्षित उपकरण तथा सुविधा प्रदान करेगा जहां गार्ड सेवा दी जानी है। ऐसे उपकरण तथा सुविधा में पर्याप्त गर्मी/हवा, रोशनी, विद्युत, टॉयलेट सुविधा तथा कुर्सी, पीने का

पानी, कार्यालयी स्टेशनरी, फाइल लेजर, रजिस्टर आदि बिना किसी प्रतिबंध के सम्मिलित होंगे।

9.3 ग्राहक गार्ड सेवा के निष्पादन के संबंध में संविदाकार द्वारा लिखित में दी गई सभी सुरक्षा सिफारिशों (यदि कोई हो), यदि ग्राहक द्वारा आवश्यक समझा जाएं, का अनुपालन तथा उन्हें पूरा करेगा। ग्राहक गार्ड सेवा के संबंध में किसी बेईमानी, गलत या लापरवाही के कार्यो या संविदाकार के कर्मचारियों या एजेंटो की चूको को उनके विषय में जानने के पश्चात जितना जल्दी हो सके संविदाकार को अधिसूचित करेगा।

9.4 ग्राहक ऐसी सहायता प्रदान करेगा जैसाकि आवश्यक समझा जाए।

10. संविदा की वैधता

संविदा, यदि दी जाए, तो निरन्तर संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन प्रदान किए जाने की तिथि से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। संविदा के उल्लंघन या न्यूनतम अपेक्षा/सांविधिक अपेक्षा पूरा न करने की स्थिति में, ग्राहक को संविदाकार द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने के अलावा संविदा को समाप्त करने और ग्राहक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के एकमात्र विवेकाधिकार पर संविदाकार को ब्लैक लिस्ट आदि करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।

11. भुगतान

11.1 संविदाकार के रूप में सफल बोलीदाता के चयन के बाद, करार ज्ञापन में एक कीमत अनुसूची संलग्न की जाएगी जिसके अनुसार सुरक्षा सेवाओं के लिए ग्राहक द्वारा संविदाकार को सभी भुगतान किए जाएंगे।

11.2 कीमतों में कोई जीएसटी/सेवा कर, शिक्षा उपकर, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर या कोई अन्य लागू कर, जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर उदग्राहय हो सकता है, शामिल नहीं होगा और उसे लागू दर के अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा।

11.3 संविदाकार प्रति माह बीजक प्रस्तुत करेगा और प्रत्येक अगले माह की 5 तारीख तक ग्राहक को उसे प्रस्तुत करेगा। ग्राहक संविदाकार से बीजक की प्राप्ति की तारीख से 15-20 दिनों के अन्दर भुगतान करने का सभी प्रयास करेगा।

11.4 संविदा की प्रारंभिक लागत एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। इस अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी संशोधन के अलावा ग्राहक द्वारा की गई कीमत वृद्धि पर विचार नहीं किया जायेगा।

11.5 एक वर्ष की संविदा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद यदि ग्राहक द्वारा संविदा का नवीकरण किया जाता है, तो संविदाकार, संविदा लागत में वृद्धि का दावा केवल न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि होने पर कर सकता है, जैसी और जब सरकार द्वारा वृद्धि की जाये।

11.6 संविदा भुगतानों के अतिरिक्त, ग्राहक उसके द्वारा अपेक्षित किसी अतिरिक्त सेवा के लिए भुगतान करेगा, जो कि बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं है।

11.7 सभी भुगतान एनईएफटी के माध्यम से सरकार और समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार, टीडीएस की कटौती के बाद किया जाएगा।।

11.8 ग्राहक संविदाकार को किए गए किसी भुगतान से लागू कानून, आयकर या कर काटना या अन्य कटौती (जैसा भी मामला हो) के अनुसार कटौती करने का हकदार होगा और इस प्रकार कटौती की गई राशि संविदाकार को किया गया भुगतान माना जाएगा। ग्राहक इस प्रकार की गई कटौती को प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगा।

11.9 कार्य देने के आदेश के आधार पर कोई भुगतान अग्रिम में नहीं किया जाएगा और न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

11.10 ग्राहक संविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बीमा दावा/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि के संवितरण के कारण व्यय किए गए किसी भी प्रशासनिक प्रभारों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

12. श्रमिक तथा संविदाकार के कर्मचारी

12.1 श्रम अनुपालन

संविदाकार सभी श्रम कानूनों, ईपीएफ संगठन, ईएसआई निगम से संबंधित कानूनों का पालन करेगा। संविदाकार द्वारा ग्राहक को प्रत्येक माह अपने नियोजित स्टाफ के संबंध में ईपीएफ, ईएसआईसी के विवरण बिल के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। संविदाकार मजदूरी तथा भत्तो के समय पर भुगतान, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान, छुट्टी देना, कामगारों की क्षतिपूर्ति का भुगतान, कार्य घंटे, सुरक्षा, मातृत्व लाभ, अवकाश, स्थाई आदेशो का तैयार करना, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, भविष्य निधि योगदान का भुगतान, उपदानों का भुगतान तथा बोनस के भुगतान से संबधित मामले तक सीमित नहीं किन्तु उनके सहित पालन करेगा।

12.2 संविदाकार मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी देयता अधिनियम 1938, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दिल्ली शॉपस एंड एसेंशियल एक्ट, बोनस अधिनियम अथवा उसके तहत किसी संशोधन अथवा उससे संबंधित किसी अन्य कानून तथा समय-समय पर उसके तहत निर्मित नियमों के प्रावधानो के तहत सभी दावों, क्षतियों या मुआवजों के प्रति ग्राहक को क्षतिपूर्ति करेगा। इस संदर्भ में ग्राहक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

12.3 सुरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति

संविदाकार ग्राहक परिसर में गार्ड सेवा देने के लिए सभी सुरक्षा तथा अन्य प्रशासनिक कार्मिकों की नियुक्ति के लिए अपने प्रबंध करेगा तथा ऐसे कार्मिकों की पर्याप्त तथा उचित आपूर्ति के लिए प्रबंध करने में उचित सावधानी बरतेगा परन्तु भारत में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सामान्य स्थानीय रीति के अनुसार तथा लागू कानूनो के अध्यधीन होंगी।

12.4 संविदाकार के कार्मिक

7.4.1 संविदाकार सदैव यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास ग्राहक के स्थल पर ग्राहक के परिसर का पर्यवेक्षण करने के लिए पर्याप्त, उचित तथा शिक्षित तथा संविदा के तहत संविदाकार पर सौंपे उत्तरदायित्वो को निर्वहन करने तथा इसके कार्य को निष्पादित करने के लिए पूर्ण ध्यान देने हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिक है।

12.4.2 संविदाकार प्रमुख कार्मिकों का विवरण उनके पूर्ण संपर्क विवरण को दर्शाने वाला अपना संगठनात्मक चार्ट प्रस्तुत करेगा। संविदाकार अपने संगठन या अपने कार्मिकों में किसी परिवर्तन को ग्राहक को सूचित करना जारी रखेगा।

12.4.3 संविदाकार द्वारा लगाए गए कार्मिक साफ सुथरी वर्दी में होंगे (उचित नाम पट्टी सहित)।

13. शास्तियाँ

13.1 संविदाकार को तैनात किये गये सुरक्षाकर्मियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन देना होगा, ऐसा करने में विफलता पर माह की 15 तारीख तक ₹ 10,000/- प्रति दिन, शास्ति लगाई जाएगी और उसके बाद निविदा समाप्त की जा सकती है, प्रतिभूति जमा/निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और संविदाकार को ग्राहक द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ग्राहक के पास संविदाकार के जोखिम और लागत पर सुरक्षा सेवाओं के लिए अन्य एजेंसी को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

13.2 जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि सौंपा गया कार्य ग्राहक के निर्देशों के अनुसार पूरी संतुष्टि तक निष्पादित नहीं किया गया है, इसे ग्राहक द्वारा संविदाकार की जानकारी में लाया जायेगा और यदि शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की जाती तो शास्ति खण्ड का उपयोग करते हुए ₹ 5000/- प्रति दिन प्रति शिकायत की शास्ति लगाई जाएगी।

13.3 ग्राहक के परिसर में न्यूनतम आवश्यक संख्या में सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक तैनात करने के अतिरिक्त, संविदाकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संविदाकार के पास अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों सहित पर्यास संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हैं। यदि सुरक्षाकर्मियों/पर्यवेक्षकों की अपेक्षित संख्या संविदा में उल्लिखित अनुसार निर्धारित संख्या से कम है तो प्रतिदिन प्रति अनुपस्थिति ₹ 5000/- की शास्ति बिल (बिलों) में से काटी जायेगी।

13.4 यदि संविदाकार निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ईपीएफ, ईएसआईसी, अवकाश, उपादान आदि का लाभ जैसी न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाएं पूर्ण करने में विफल होता है और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो इसे संविदा का उल्लंघन माना जायेगा और ग्राहक द्वारा संविदाकार को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त मासिक बिल और निष्पादन प्रतिभूति काली सूची में डाला जा सकता है।

13.5 संविदा की किसी भी शर्त के उल्लंघन और सुरक्षा बल की अपेक्षित संख्या प्रदान करने में संविदाकार की विफलता पर सुरक्षा सेवा हायर करने के कारण अतिरिक्त लागत सहित सभी प्रकार की हानि की स्थिति में, ग्राहक, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गये बिलों में से यथानुपात अनुसार हायरिंग की दर से दोगुनी दर पर या इसके अन्तर्गत जो विक्रेता से या किसी और निविदा से या प्रतिभूति जमा से देय होगा उसकी कटौती करेगा या ग्राहक के क्रेडिट के लिए सात दिनों के अन्दर उसके द्वारा भुगतान की मांग की जा सकती हैं।

14. अप्रत्याशित घटना–पार्टियों के दायित्व

14.1.1 'अप्रत्याशित घटना' का अर्थ होगा ग्राहक या संविदाकार के नियंत्रण से बाहर की कोई घटना, जैसा भी मामला हो, और जो प्रभावित पार्टी के यथोचित ध्यान के बावजूद अपरिहार्य हो और जिसे उचित दक्षता और ध्यान और अच्छी औद्योगिक प्रथाओं का उपयोग करके भी रोका नहीं जा सकता हों और उसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित शामिल होगा:-

(i) युद्ध, युद्धस्थिति, आक्रमण, विदेशी शत्रु की कार्यवाही और गृह युद्ध;

(ii) विद्रोह, क्रान्ति, बगावत, गदर, साजिश, दंगा, नागरिक उपद्रव और आतंकी कार्रवाई;

(iii) हड़ताल, तोड़ फोड़, अवैध लॉकआउट, महामारी, संगरोध और प्लेग;

(iv) भूकम्प, आग, बाढ़, या चक्रवात अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा।

जैसे ही यथोचित रूप से व्यवहार्य हो किन्तु अप्रत्याशित घटना की किसी स्थिति के प्रारंभ की तिथि के बाद 48 (अडतालिस) घंटे से अधिक नहीं, प्रभावित पार्टी निम्नलिखित यथोचित विवरण के साथ साथ अप्रत्याशित घटना के मामले में दूसरी पार्टी को अधिसूचित करेगी:

14.1.2 अप्रत्याशित घटना के प्रारंभ होने की तिथि;

14.1.3 अप्रत्याशित घटना की प्रकृति और सीमा;

14.1.4 अप्रत्याशित घटना की अनुमानित अवधि;

14.1.5 इस प्रकार के विलम्ब या विफलता के स्वरूप का यथोचित सबूत और निष्पादन के लिए समय पर इसका प्रत्याशित प्रभाव और वह सीमा जिस तक संविदा के तहत उसकी किसी देयताओं का निष्पादन अप्रत्याशित घटना द्वारा प्रभावित होता है।

14.1.6 अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम/मन्द करने के लिए प्रभावित पार्टी द्वारा किए गए या प्रस्तावित उपाय और उससे प्रभावित उसकी ऐसी देयताओं के निष्पादन को फिर से प्रारंभ करना।

14.1.7 अप्रत्याशित घटना से संबंधित कोई अन्य सुसंगत सूचना और/या संविदा के तहत पार्टियों के अधिकार या देयताएं।

15. समाप्ति

15.1 यह संविदा अन्य पार्टी को एक महीने की न्यूनतम अवधि के लिए लिखित सूचना देकर किसी भी पार्टी द्वारा तत्काल समाप्त की जा सकती है यदि अन्य पार्टी इस करार के अन्तर्गत उसकी देयताओं का प्रत्यक्ष उल्लंघन करें और इस प्रकार के उल्लंघन के मामले में, जिसका सुधार किया जा सकता है, ऐसे उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर ऐसे उल्लंघन का सुधार करने में विफल रहती है; या

15.2 संविदा को ग्राहक द्वारा संविदाकार को लिखित नोटिस देकर तत्काल समाप्त किया जा सकता है; यदि

15.2.1 संविदा की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन और/या संविदाकार द्वारा असंतोषजनक सेवा और/या संविदाकार के ऋणशोधनक्षम और दिवालिया होने की स्थिति में, ग्राहक के सक्षम प्राधिकारी को कोई कारण बताए बिना संविदा रद्द करने का अधिकार होगा, और ग्राहक द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा और उस स्थिति में निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में ग्राहक द्वारा संविदाकार ब्लैकलिस्ट किए जाने के लिये उत्तरदायी होगा।

16. दावा त्यागना

ग्राहक के कर्मचारियों के रिश्तेदारों/निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं है। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य;

(ख) उनके पति या पत्नी

(ग) एक का दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता, पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री एवं पुत्री का पति (दामाद), भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति (बहनोई)।

17. दिवालियापन

17.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक घटना के होने पर संविदाकार को क्षतिपूर्ति के बिना सरसरी तौर पर लिखित में नोटिस द्वारा संविदा समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:

यदि संविदाकार एक व्यष्टि या यदि फर्म है तो संविदाकार की फर्म में कोई भी साझेदार को किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरूद्ध उसकी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशो या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई करने या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने लेनदारों के साथ समझौता या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म साझेदारी अधिनियम के तहत भंग की जाती है अथवा;

i. यदि संविदाकार एक कंपनी होने के कारण प्रस्ताव पारित करेगा या न्यायालय मामलों के परिसमापन के लिए आदेश करेगा या ऋणपत्रधारक की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो न्यायालय या डिबेंचर धारक को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति का हकदार बनाए।

ii. यदि संविदाकार इस संविदा का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो: बशर्ते कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार जो उद्भूत होगा या उसके बाद क्रेता को उद्भूत होगा और यह भी प्रावधान है कि संविदाकार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान करने के लिए दायी होगा, इस प्रकार वह, पुन: खरीद पर किसी लाभ का हकदार नहीं होगा।

18 बोली और भुगतान की मुद्रा

18.1 बोलीदाता अपनी कीमत बोली भारतीय रूपये में प्रस्तुत करेगा और इस संविदा के अन्तर्गत भुगतान भारतीय रूपये में किया जाएगा।

19. शासित कानून और विवाद का निपटान

19.1 इसकी शर्तों की व्याख्या सहित इस संविदा से संबंधित या उत्पन्न कोई दावा, विवाद और या भिन्नताएं (इस संविदा के अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबधित विवाद सहित) संबंधित पार्टियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त चर्चा के माध्यम से

सुलझाए जाएंगे। तथापि, जैसा ऊपर बताया गया है यदि विवाद का समाधान चर्चा के द्वारा 30 दिनों की अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो मामला मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों, जिसमें आशोधन, संशोधन और भावी नियम शामिल हैं, के प्रावधानों के अनुसार पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता को अधिनिर्णय के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा और मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम और पार्टियों पर बाध्य होगा।

19.2 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह संविदा भारत गणराज्य के नियमों द्वारा शासित है और दिल्ली के न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

20. भ्रष्ट या धोखा-धड़ी प्रथाएं

20.1 संविदाकार को संविदा की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करना होगा।

20.2 यदि यह निर्धारित होता है कि बोलीदाता विचाराधीन संविदा की प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट या धोखा-धड़ी में लिप्त पाया जाता है, तो सीएजी का कार्यालय बोली को रद्द कर देगा।

20.3 यदि किसी भी समय यह निर्धारित होता है कि फर्म ने इस बोली के लिए प्रतिस्पर्धा करने में या संविदा को निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी पूर्ण तरीको में लिप्त है तो सीएजी का कार्यालय एक फर्म को या तो अनिश्चित काल तक या एक कथित समयावधि के लिए अयोग्य/ब्लैक-लिस्ट घोषित करेगा।

20.4 सीएजी का कार्यालय संविदा को समाप्त और संविदाकार को ब्लैक-लिस्ट भी करेगा यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार को किसी अवसर पर किसी अन्य संगठन के द्वारा ब्लैक-लिस्ट/बहिष्कृत किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

अनुबंध-5

संविदा की विशेष शर्ते

(एससीसी)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

1. संविदा की विशेष शर्तें धारा 5 में निहित "बोलीदाताओं के लिए निर्देशों" और धारा 6 में निहित संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के पूरक होगी।

2. क्षतिपूर्ति:

सफल बोलीदाता पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और ग्राहक को संविदाकार के कारण भूल/चूक के कार्यों के कारण ग्राहक के विरूद्ध शुरू किए गए मुकदमा/दावों/आवेदन से उत्पन्न सभी हानियों/शास्तियों/निर्णय/डिक्री की क्षतिपूर्ति करेगा और जो समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार निम्न अधिनियमों सहित विभिन्न केन्द्रीय श्रम और रोजगार अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डनीय है। उपरोक्त के कारण वहन की गयी क्षति/हानि का निर्धारण करने का एकमात्र विवेकाधिकार ग्राहक में निहित होगा जो क्षति/हानि निष्पादन गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा से बकाया देय के कारण है या किसी भी समय संविदाकार के विरूद्ध उपयुक्त कानूनी मुकदमेबाज़ी प्रारम्भ करके या तो बोलीदाता की निजी सम्पत्ति या उसकी फर्म/कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति के कारण है।

3. श्रम कानून अनुपालन

3.1 विभिन्न श्रम कानूनों और विनियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की नियुक्ति और रोजगार एवं उनकी मजदूरी का भुगतान करना संविदाकार का एकमात्र उत्तरदायित्व है और ऐसे कानूनों और विनियमों का कोई भी उल्लंघन इस संविदा का उल्लंघन माना जाएगा। ग्राहक यह सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए संविदाकार को कह सकता है कि इन प्रावधानों/कानूनों का संविदाकार द्वारा अनुपालन किया गया है।

(क) सभी वेतन सम्बद्ध लाभ जैसे अवकाश, ईएसआई, पीएफ, उपादान, बोनस आदि का संविदाकार भुगतान करेगा और ग्राहक तैनात कार्मिकों के लिए कोई देयता या अतिरिक्त व्यय वहन नहीं करेगा।

(ख) यह अनिवार्य है कि कर्मचारियों को भुगतान केवल बैंक/चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए।

3.2 संविदाकार सभी श्रम कानूनों, ईपीएफ संगठन, ईएसआई निगम से संबंधित कानूनो, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, बोनस अधिनियम का पालन करेगा। संविदाकार द्वारा ग्राहक को प्रत्येक माह अपने नियोजित स्टाफ के संदर्भ में ईपीएफ, ईएसआईसी के विवरण बिल के साथ प्रस्तुत करेगा। संविदाकार मजदूरी तथा भत्तों के समय पर भुगतान, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, ओवरटाइम का भुगतान, छुट्टी देना, कामगारों की क्षतिपूर्ति का भुगतान, कार्य घंटे, सुरक्षा, मातृत्व लाभ, अवकाश, स्थाई आदेशो का

तैयार करना, कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, भविष्य निधि अंशदान का भुगतान, उपादानों का भुगतान तथा बोनस के भुगतान से संबधित मामले तक सीमित नहीं किन्तु उनके सहित पालन करेगा।

3.3 संविदाकार श्रम या अन्य संबंधित कानूनों के अनुपालन करने के कारण संविदा की अवधि के दौरान उत्पन्न या उत्पन्न हो सकने वाले कानूनी विवादों/मामलों/दावों के लिए उत्तरदायी होगा।

3.4 संविदाकार सभी वैधानिक नियमों/विनियमों और सरकारी निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा जो इसके द्वारा लगाए गए कर्मचारियों/कामगारों के हित की रक्षा करने के लिए और उद्देश्य हेतु लागू हैं/होंगे और उन सभी संविधिक बकायों/देयताओं के भुगतान को सुनिश्चित करेगा जो विगत के दौरान उत्पन्न 'या' संविदा के निष्पादन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं।

3.5 संविदाकार समय-समय पर निर्दिष्ट आवधिक रिटर्नों को प्रस्तुत करेगा।

4. आधिकारिक अभिलेख

4.1 संविदाकार ग्राहक के कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी/वेतन के संवितरण, जिसमें सभी कटौतियों जैसे ईएसआई, पीएफ आदि के विशेष विवरण को दर्शाया गया हो, के सम्पूर्ण आधिकारिक अभिलेखों को रखरखाव करेगा।

4.2 संविदाकार सभी कर्मचारियों के संबंध में व्यक्तिगत फाइल रखेगा जिन्हें ग्राहक के कार्यालय में तैनात किया गया हैं। व्यक्तिगत फाइल में व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, आवासीय पता (अस्थाई/स्थाई) और कर्मचारियों द्वारा दर्ज करवाई गई सभी शिकायतों के साथ-साथ की गई कार्रवाई आदि निहित होगा।

4.3 संविदाकार एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि प्रत्येक महीने की समाप्ति के सात दिनों के अंदर वह ग्राहक को ईएसआईसी/ईपीएफओ कमिश्नरों के पास जमा करने के प्रमाण-पत्र के साथ कर्मचारियों के संबंध में अंशदान की वसूली को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेगा।

4.4 प्रत्येक मासिक बिल के साथ निम्नलिखित होने चाहिएं:

क. उनकी नियुक्ति की तारीख के साथ कर्मचारियों की सूची

ख. मजदूरी की राशि (संविदाकार सुनिश्चित करेगा कि सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सभी हितलाभों (जैसे ईएसआईसी/ईपीएफ/बोनस आदि) के साथ भुगतान किया गया है)।

ग. ईपीएफओ/ईएसआईसी के ऐसे अंशदान के भुगतान के प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां

घ. ईपीएफ/ईएसआईसी की राशि के खंड 8.3 के अनुपालन से संबंधित संविदाकार की घोषणा

4.5 संविदाकार को सभी कर्मचारियों के संबंध में सभी भुगतानों/बकायों को इंगित करने वाला एक रजिस्टर भी तैयार करना होगा।

अनुबंध-6

कार्यों/दी जाने वाली सेवाओं की अनुसूची

आवश्यकताओं की इस अनुसूची में, संविदाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली गार्ड सेवाओं का विवरण और अन्य जानकारी, ग्राहक के निर्देश और ग्राहक के परिसर पर तैनात संविदाकार के कर्मचारियों को निर्देश और संविदा के ऐसे सभी अन्य पहलू उल्लिखित किये जाने चाहिये।

1. सामान्य निर्देश

1.1 संविदाकार को ग्राहक की सुविधा और ग्राहक के निर्देश अनुसार सभी सुरक्षा कर्मी तैनात करने होंगे।

1.2 संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि सभी सुरक्षाकर्मियों को परिसर और ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों और उससे संबंधित सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से जानकारी हो। अतः स्टाफ को निम्नलिखित का पालन/सुनिश्चित करना होगा:

1.2.1 आचार संहिता

संविदाकार को सुनिश्चित करना होगा कि उसके सुरक्षा कर्मी

(i) हमेशा उपस्थित और सर्तक हों

(ii) समय पर आये, उनकी शिफ्ट शुरू होने से कम से कम 15 मिनट पहले पहुँचे। रिलीवर के देर से आने पर प्रति विलम्ब ₹ 500 का जुर्माना लगेगा।

(iii) अपनी ड्यूटी का प्रभार उचित और पूर्ण रूप से ले।

(iv) अपनी ड्यूटी ईमानदारी और निष्ठा से करें।

(v) अपने पद और कार्यस्थल निर्देशों को पढ़े और समझे और उसका पालन करे।

(vi) कार्यालय के सभी अधिकारियों और स्टाफ का सम्मान करें।

(vii) ड्यूटी पर शराब न पीये; या शराब पी कर ड्यूटी पर न आए।

(viii) ड्यूटी के समय व्यर्थ बातचीत नहीं करेंगे।

(ix) अपने रिलीवर के आने तक पद नहीं छोड़ेंगे।

(x) ड्यूटी पर कभी नहीं सोयेंगे।

(xi) ड्यूटी पर अखबार या मैगजीन नहीं पढेंगे।

(xii) कोई अप्रिय घटना/कदाचार या दुर्व्यवहार होने पर संविदाकार और ग्राहक को तुरंत सूचित करेंगे।

(xiii) जब भी कोई संदेह हो, शीघ्र संबंधित व्यक्ति के पास जायें।

(xiv) परिसर के अंदर आवधिक रूप से चक्कर लगायेंगे।

(xv) शिफ्ट-प्रभारी को बताये बिना सुरक्षाकर्मी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। यदि आवश्यक होगा पर्यवेक्षक द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जायेगी।

(xvi) सुरक्षाकर्मी जब कभी बाहर जाएंगे तब वे अन्य शिफ्ट सुरक्षा से अपनी जांच करवायेंगे।

(xvii) अत्यधिक विनम्र और व्यवहार कुशल हों।

1.2.2 गोपनीयता

(i) ग्राहक का फोन नम्बर और आने जाने की योजना किसी को भी नहीं दी जायेगी।

(ii) ग्राहक के बारे में निम्नलिखित जानकारी किसी को भी नहीं दी जायेंगी।

(क) कार का प्रकार, रंग और उच्च अधिकारियों का नम्बर।

(ख) टेलीफोन नम्बर/कोई भी अन्य जानकारी।

(ग) स्थान और आने जाने की योजना।

(घ) बैठक और क्रांफ्रेंस समय।

(ङ) परिसर की कार्य-स्थल योजना।

(च) ग्राहक का यात्रा विवरण।

1.2.3 व्यक्तिगत आवागमन

(i) कार्मिक के आने और जाने के रिकॉर्ड रजिस्टर में मैनुअल रूप से बनाये जाएंगें

(ii) सुरक्षाकर्मी रविवार, अवकाश और देर तक कार्य करने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखेंगे।

(iii) सुरक्षा कर्मी रजिस्टरों में वाहनों के आने और जाने का विवरण भी रखेंगे।

(iv) संविदा पर स्टाफ/अस्थायी मजदूर- व्यक्ति को पहचानना और सुनिश्चित करना कि अस्थायी स्टाफ ने पहचान पत्र पहना है।

(v) हाऊस-कीपिंग कर्मचारियों के आने व जाने का रजिस्टर बनाया जायेगा।

(vi) आगंतुकों से विनम्र हों और संबंधित स्टाफ के आने तक उनसे बैठने को कहें।

(vii) पहचान पत्र की जांच करें।

1.2.4 सामग्री आवागमन

(i) आने वाली सामग्री- दस्तावेजों की ठीक से जांच करें और उचित प्रविष्टि सहित मद प्राप्त करें और उसे संबंधित व्यक्ति को दें।

(ii) बाहर जाने वाली सामग्री- सामग्री भेजने से पूर्व, चालान के अनुसार उचित जांच करें। प्राधिकृत व्यक्ति की मोहर और हस्ताक्षर के बिना कोई भी सामग्री बाहर न भेंजे।

(iii) वापस करने योग्य और वापस न करने योग्य सामग्री का रिकॉर्ड बनायें। सुरक्षाकर्मियों द्वारा आवधिक स्थिति रिपोर्ट अर्थात मासिक रिपोर्ट बनाई जायेगी और देय तिथि पर वापस न की गई सामग्री पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु प्रशासन विभाग को प्रस्तुत की जायेगी।

(iv) अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली प्रत्येक सामग्री को चालान के अनुसार सही प्रकार से रिकॉर्ड किया जायेगा।

(v) परिसर में आने वाली सामग्री उचित चालान के साथ होनी चाहिये।

(vi) कोई भी वस्तु प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित अनुमति के बिना बाहर नहीं ले जाई जायेगी।

(vii) अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सामग्री हेतु दस्तावेजों को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूची सहित कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

1.2.5 मेल और कोरियर का आवागमन

(i) सभी आने वाले कोरियर/डाक को इस कार्यालय के प्राप्ति और जारी करने वाले विभाग को भेजा जायेगा।

1.2.6 टेलीफोन हैंडलिंग

(i) **सुरक्षाकर्मियों को सुविधा हेतु लगाये गये टेलीफोन का दुरूपयोग न करने के सख्ती से निर्देश दिये गये हैं।**

(ii) सभी कॉल का विनम्रता से उत्तर देना चाहिये।

(iii) वह सही प्रकार से संदेश प्राप्त करेगा और शीघ्र ही संबंधित व्यक्ति को बताएगा।

1.2.7 पेट्रोलिंग प्रक्रियाऐं

(i) सुरक्षाकर्मी को सुनिश्चित करना चाहिये कि कार्यालय बंद होने के बाद सभी अवांछित लाइट और **एयर कंडिशनिंग यूनिट** बंद हो।

(ii) सुरक्षाकर्मी को उन कम्प्यूटरों को बंद नहीं करना चाहिए, जिन्हें चालू छोड़ा गया हो।

(iii) कार्यालय बंद होने के बाद प्रत्येक घंटे में परिसर का चक्कर लगाना चाहिये।

(iv) वह अस्थायी मजदूरों/संविदाकारों की गतिविधियों पर नज़र रखेगा।

(v) यदि उसे कुछ असामान्य/अनुपयुक्त लगता है, तो उसे प्रशासन प्रमुख को लिखित में रिपोर्ट करना चाहिये।

(vi) संविदाकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके विशिष्ट व्यक्ति द्वारा एक बार दिन में और एक बार रात में पेट्रोलिंग की जाएगी और इसकी रिपोर्ट हफ्ते में एक बार पक्षकार को दी जाएगी।

1.2.8 तलाशी/जांच प्रक्रियायें

(i) सभी संविदागत स्टॉफ की शाम को कार्यालय परिसर छोड़ने से पूर्व पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इसका विरोध करता है तो तुरन्त संबंधित प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(ii) सफाई कर्मचारियों या किसी अन्य द्वारा परिसर से बाहर ले जाये जाने वाले सारे कचरे की पूरी तरह से जांच की जाएगी।

(iii) अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रशासनिक प्रमुख को सूचित किया जाएगा।

1.2.9 चेंजिंग ओवर और टेकिंग ओवर

(i) वह लॉग बुक में पिछले शिफ्ट की प्रविष्टियों की जांच करेगा और अपने रिलीवर से प्रगति योजना पर चर्चा करेगा।
(ii) सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक दोनों पूरे भवन की अच्छी तरह से जांच करेंगे।
(iii) रिलीवर गार्ड कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सभी दस्तावेजों की जांच करेगा जो सुरक्षा से संबंधित हों।
(iv) उन्हें सभी प्रणालियों की जांच करनी चाहिए जो सुविधा/सुरक्षा के अंतर्गत हों।
(v) घटना रिपोर्ट रजिस्टर बनाया जाए।
(vi) रिलीवर गार्ड को कार्यग्रहण से पूर्व पिछले शिफ्ट गार्ड की जांच करनी चाहिए।

1.2.10 क्लीन डेस्क पॉलिसी

(i) सारे स्टाफ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे दिन में अपना डेस्क छोड़ने से पूर्व अपना डेस्क साफ रखें अर्थात् टेबल के ऊपर कोई महत्वपूर्ण सामान न छूटने पाए।

1.2.11 ग्राहक के लिये टिप्पणी

(i) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सूची प्रदान करे।

1.2.12 आग पर नियंत्रण

(i) सुरक्षा गार्डों को यह पता होना चाहिए कि अग्निशमन कहां रखे हैं/लगाए गए हैं और किसी भी आग दुर्घटना में उन्हें इसे चलाना आना चाहिए।
(ii) अग्निशमन की उपयोगिता अवधि अर्थात् अगले रीचार्ज की निर्धारित तिथि की जांच करें। यदि नियत तिथि पूर्ण हो गई हो तो ग्राहक को एक लिखित शिकायत दी जाएं।
(iii) आग लगने की घटना में ग्राहक की संपत्ति एवं जीवन की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
(iv) आग लगने की किसी भी घटना में, भाग कर वहां जाना, उपलब्ध लोगों को इकट्ठा करके अग्निशमन संचालनों का नियंत्रण करना।
(v) यदि आवश्यक हो तो सुरक्षा गार्डों को फोन नं.-102 पर काल करके एम्बुलेंस दल बुलाना चाहिए।
(vi) आपातकाल के दौरान कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि इससे किस प्रकार निपटना है।

1.2.13 आपातकालीन प्रक्रियाएं

(i) सुरक्षा गार्डों के पास सभी नजदीकी पुलिस थानों, अस्पताल, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का पता और फोन नं. होना चाहिए।

(ii) संविदाकार और ग्राहक को किसी भी अनहोनी/दुराचार या दुर्व्यवहार की घटना की तुरंत सूचना दी जानी चाहिए।

(iii) सुरक्षा व्यक्तियों को सभी आपातकालीन बाहर जाने के दरवाजों और मुख्य प्रवेश द्वारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी अल्पकालीन सूचना पर वह उचित कदम उठा सके।

(iv) आपतकाल और इसकी गंभीरता की पहचान होना।

(v) आपातकाल के मामले में अलार्म बेल/सायरन बजाना (यदि उपलब्ध हो)।

3. सुरक्षा स्टॉफ की तैनाती और संभावित आवश्यकताएं

सुरक्षा स्टॉफ (बिना हथियार) की संभावित आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी:

सेवाओं का विवरण	**स्थिति**	**गार्ड/पर्यवेक्षक की आवश्यक संख्या**	**घंटे**
सुरक्षा पर्यवेक्षक	पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124	3	8 घंटे प्रत्येक
सुरक्षा पर्यवेक्षक	10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली– 110124	3	8 घंटे प्रत्येक
सुरक्षा गार्ड	पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124	35	8 घंटे प्रत्येक
सुरक्षा गार्ड (पूर्व-सैनिक)	पॉकेट 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110124	03	8 घंटे प्रत्येक
सुरक्षा गार्ड	10 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली– 110124	19	8 घंटे प्रत्येक
सुरक्षा गार्ड (पूर्व-सैनिक)	10 बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली– 110124	03	8 घंटे प्रत्येक
सुरक्षा गार्ड	आवासीय परिसर, रावी टावर वैशाली	06	8 घंटे प्रत्येक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

आपातकालीन प्रक्रियाएं

(1) *चोरी/ताला तोड़ कर घुसने के मामले में सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्रवाई*

क) व्यक्ति/वाहन को रोकना

ख) विषय/मामले की जांच करना

ग) फोन नं. ....पर संविदाकार के नियंत्रण कक्ष में सूचित करना

घ) संपर्क व्यक्ति को सूचित करना

ङ) पेट्रोलिंग पर्यवेक्षक को सूचित करना

च) ग्राहक को सूचित करना

(2) *आग लगने के मामले में सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्रवाई*

क) आग बुझाने की कोशिश करना

ख) आग लगने के मामले में गार्ड अग्नि विभाग (फोन नं. 101) को कॉल कर सकता है।

ग) फोन नं. ....पर संविदाकार के नियंत्रण कक्ष में सूचित करना

घ) संपर्क व्यक्ति को सूचित करना

ङ) पेट्रोलिंग पर्यवेक्षक को सूचित करना

च) ग्राहक को सूचित करना

(3) *बम की धमकी वाले कॉल के मामले में सुरक्षा गार्ड द्वारा कार्रवाई*

क) फोन नं. ....पर संविदाकार के नियंत्रण कक्ष में सूचित करना

ख) संपर्क व्यक्ति को सूचित करना

ग) पेट्रोलिंग पर्यवेक्षक को सूचित करना

घ) ग्राहक को सूचित करना

नोट

(i) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमतों के ब्यौरें/वर्गीकरण का उद्धरण करना आवश्यक है।

(ii) ग्राहक द्वारा भुगतान बोली दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(iii) कीमतें केवल एक वर्ष के लिए वैध होगी। हालांकि, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन पर संविदाकार लिखित में ग्राहक से तदनुसार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का अनुरोध कर

सकता है, जिसे उचित पाए जाने पर ग्राहक द्वारा इस पर विचार किया जाएगा और सहमति दी जाएगी।

(iv) प्रभार 26 दिनों प्रति महीने के आधार पर होंगे (दिल्ली के एनसीटी सरकार, श्रम विभाग के मानकों के अनुसार)।

(v) उद्धृत समेकित मासिक धनराशि में ईएसआई, पीएफ, ग्रेच्यूटी, बोनस, छुट्टी, एवजी, वर्दी और प्रशिक्षण के प्रति ग्राहक के योगदान सहित सभी प्रभार शामिल होंगे।

(vi) कीमतें अनुसूची में मूल्यों में सरकार द्वारा समय-समय पर उद्गृहीत किसी भी सेवाकर, शिक्षा उपकर, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर या किसी अन्य लागू कर के अलावा होंगी और लागू दर के अलावा ये भी प्रभारित होंगे।

(vii) संविदाकार को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रति व्यक्ति लागत का भुगतान उनके कर्मचारियों को मासिक मजदूरी के रूप में किया जाएगा जो विभिन्न सेवाओं के लिए ग्राहक के परिसर में तैनात हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

अनुबन्ध-6

तकनीकी बोली फार्म

1. फर्म का नाम...

2. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का नाम ''श्री/श्रीमती ....

3. बोली प्रस्तुत करने वाले अधिकृत व्यक्ति का पदनाम ....

4. वैकल्पिक व्यक्ति का नाम, पद नाम, पता तथा मोबाइल नम्बर ....
....
....

5. फर्म का पता ....

....

....

6. दूरभाष नं. एसटीडी कोड के साथ (का.)................... फैक्स................... (आ.) ....

7. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं. ....

8. बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का ई-मेल...

9. संगठन का ई-मेल आईडी...

10. वेबसाईट एड्रेस...

11. फर्म के पंजीकरण तथा निगमीकरण का विवरण..

    i) प्राईवेट लिमिटेड...

    ii) पब्लिक लिमिटेड...

    iii) अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें...

12. निदेशक का नाम...

13. निदेशक की ई-मेल आईडी..

14. निदेशक का मोबाइल नंबर
....

15. बोलीदाता का बैंक, इसका पता तथा खाता संख्या
....

....
....

....
....

16. स्थायी आयकर संख्या, आयकर सर्कल
....

17. जीएसटी संख्या
....

18. ईपीएफ पंजीकरण संख्या ....

19. ईएसआईसी पंजीकरण संख्या ....

20. ईएमडी का विवरण

i) डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी सं ....

ii) तिथि ....

iii) बैंक का नाम ....

iv) बैंक का पता ....

v) बीजी/डीडी की वैधता ....

21. सरकारी विभागों में विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान फर्नीचर सामान उपलब्ध कराने जैसे समान कार्य के विवरण

निष्पादित कार्य/आदेश का विवरण	निष्पादित कार्य/आदेश का वास्तविक मूल्य	सरकारी विभाग/संगठन का नाम	आरंभ तिथि	समाप्ति तिथि	दस्तावेज साक्ष्य अपलोड (हाँ/नहीं)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 **दिनांक : 30.09.2022**

अपलोड किये गये दस्तावेजों के विवरण

1.	बयाना राशि जमा	हाँ/नहीं
2.	पैन की प्रति	हाँ/नहीं
3.	जीएसटी की प्रति	हाँ/नहीं
4.	विगत तीन वर्षों के तुलन पत्र की प्रतियां	हाँ/नहीं
5.	विगत तीन वर्षों की आईटीआर की प्रतियां	हाँ/नहीं
6.	अनुभव प्रमाण पत्र और कार्य आदेश	हाँ/नहीं
7.	अनुबंध-1	हाँ/नहीं
8.	अनुबंध-6	हाँ/नहीं
9.	अनुबंध-7	हाँ/नहीं
10.	अनुबंध-8	हाँ/नहीं
11.	अनुबंध-9	हाँ/नहीं
12.	अनुबंध-10	हाँ/नहीं

अनुबंध-7

वचन पत्र

(₹10/- का गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर निष्पादित किया जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र)
शपथ-पत्र की एक प्रति स्कैन की जानी चाहिए और जीईएम पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए और बोली दस्तावेज की समय सीमा के अनुसार अन्य दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी वितरित की जानी चाहिए

1. मै, अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता हूँ कि मैंने बोली दस्तावेज सं. .... दिनांक.................... में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तो को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
2. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध हैं और संविदा की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उद्धृत दरें न्यूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में उद्धृत हैं।
3. कि मैं/हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को संविदा की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई बयाना राशि/प्रतिभूति राशि जमा को जब्त करने और मेरी/हमारी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कार्रवाई करने का अधिकार देता हूँ।
4. कि मैं/हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को हमारी ऐजेंसी के द्वारा कार्य आदेश स्वीकार करने और/या संविदा करार के कार्यान्वयन में विफल रहने या संविदा के कार्यान्यवन में लापरवाही के मामले में या संविदा के उल्लंघन के मामले में बयाना राशि जमा जब्त करने और हमारी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमारी एजेंसी के विरूध कार्रवाई करने का अधिकार भी देते हैं।
5. कि मैं/हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को बोली दस्तावेज/संविदा करार/स्वीकृति पत्र की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में हमारी एजेंसी की विफलता के मामलें में ब्लैकलिस्ट किए जाने के लिए हमारी एजेंसी के विरूध कार्रवाई करने और बयाना राशि जमा जब्त करने का भी अधिकार देता हूँ।
6. कि मैं/हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि भारत सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय ने हमें अयोग्य घोषित नहीं किया है या हमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, छल-कपट या अनैतिक कार्यों अथवा किसी भी प्रकार की विफलता/चूक के लिए अनर्हक या ब्लैकलिस्ट नहीं किया है।
7. कि मैं बोली दस्तावेज/संविदा करार में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने का वचन देता हूँ।

स्थान:
दिनांक:

मोहर के साथ बोलीदाता के तिथि सहित हस्ताक्षर ....
बोलीदाता का नाम ....

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

अनुबंध-8

(₹10/- का गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर निष्पादित किया जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र) शपथ-पत्र की एक प्रति स्कैन की जानी चाहिए और जीईएम पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए और बोली दस्तावेज की समय सीमा के अनुसार अन्य दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी वितरित की जानी चाहिए।

(i) कि मैं अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

(ii) कि मेरी फर्म को सार्वजनिक अधिप्राप्ति संविदा के निष्पादन के भाग के तौर पर जान या सम्पति की हानि या जन स्वास्थ्य को जोखिम पहुँचने के लिए, वर्तमान में लागू भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है।

(iii) मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि बोली दस्तावेज में यथा परिभाषित मेरा कोई रिश्तेदार बोली दस्तावेज में दिए गए विवरण के अनुसार सीएजी कार्यालय में कार्यरत नहीं है। किसी भी चरण में, यदि यह पाया गया कि मेरे द्वारा दी गई सूचना झूठी/गलत है, तो सीएजी कार्यालय के पास मुझे पूर्व सूचना दिए बिना जैसा भी सही समझा जाए संविदा के निरस्तीकरण सहित कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान:
दिनांक:

मोहर के साथ बोलीदाता के दिनांकित हस्ताक्षर................................
बोलीदाता का नाम...

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 **दिनांक : 30.09.2022**

अनुबंध-9

(₹10/- का गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर निष्पादित किया जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र)
शपथ-पत्र की एक प्रति स्कैन की जानी चाहिए और जीईएम पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए और बोली दस्तावेज की समय सीमा के अनुसार अन्य दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी वितरित की जानी चाहिए।

(i) कि मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूं कि मैनें बोली दस्तावेज संख्या .... दिनांक .... के अनुसार न्यूनतम योग्यता मापदंड का पालन किया है।

(ii) कि मेरी एजेंसी मै. .... के पास भारत सरकार के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों में सुरक्षा सेवाएं देने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है।

(iii) कि मेरी एजेंसी मै. .... के पास पीएमओ, आईबी, भारत सरकार के अन्तर्गत मंत्रालयों, राष्ट्रपति सचिवालय, संसद, राज्य विधानसभाएं, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे संवेदनशील/वीवीआईपी क्षेत्रों में से किसी में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अनुभव है। कार्य अनुभव और कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र का विवरण संलग्न किया गया है।

(iv) कि मेरी एजेंसी ने सरकारी विभाग .... में पिछले तीन वर्षों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की कम से कम एक बार संपूर्ण संविदा जो ₹ .... की लागत से कम नहीं है, पर भी समान सेवा दी है।

स्थान:
दिनांक:

मोहर सहित बोलीदाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर ....

बोलीदाता का नाम ....

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

अनुबंध-10

(₹10/- का गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर निष्पादित किया जाने वाला नोटरी शपथ-पत्र)
शपथ-पत्र की एक प्रति स्कैन की जानी चाहिए और जीईएम पोर्टल में अपलोड की जानी चाहिए और बोली दस्तावेज की समय सीमा के अनुसार अन्य दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी वितरित की जानी चाहिए।

i. कि मैं अधोहस्ताक्षरी यह वचन देता हूं कि मेरी एजेंसी मै. ....के पास बोली संख्या.........................../जीएस/114-2021 दिनांक......................के अनुसार अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने रोल पर अपना स्वयं का प्रशिक्षित सुरक्षा बल है।

ii. मैं यह वचन भी देता हूं कि नियुक्त कार्मिकों को एनसीटी सरकार, दिल्ली के आदेशों के अनुसार कम से कम न्यूनतम मजदूरी (कुशल तथा अकुशल दोनो के लिए) का भुगतान किया जाएगा तथा संविदा की शर्तो के अनुसार उन कार्मिकों के संदर्भ में ईएसआई, ईपीएफ तथा अन्य श्रम अनुपालन आदि के संबंध में सभी सांविधिक आवश्यकताएं बाध्यकारी होंगी।

स्थान:
दिनांक:

मोहर सहित बोलीदाता के दिनांक सहित हस्ताक्षर ....

बोलीदाता का नाम ....

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 दिनांक : 30.09.2022

अनुबंध-11

संविदा करार सं. ..../जीएस/94-2019 दिनांक ....

यह करार दिनांक .... को **निदेशक (का.), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय** (इसके बाद 'ग्राहक'' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा या असंगत न हो तो उसे उसका अनुवर्ती और वारिस माना जाएगा) और जिसके कार्यालय का मुख्य स्थान पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली है,

और

मै. .... के ग्राहक को सुरक्षा सेवाएं प्रदान के लिए अपने पंजीकृत कार्यालय .... पर (इसके बाद 'संविदाकार' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा या असंगत न हो तो उसे उसका अनुवर्ती, उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और वारिस माना जाएगा), के बीच किया गया है।
यह करार निम्नलिखित प्रमाणित करता है:

I ''बोली सं.........................के अंतर्गत इसके कार्यालय परिसर तथा आवासीय परिसर पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने'' के लिए दिनांक..........................को सूचना आमंत्रण बोली द्वारा जहाँ ग्राहक ने खुली बोली द्वारा बोलियां आंमत्रित की।

II और संविदाकार द्वारा बोली दस्तावेजों के अनुसार अपनी बोली द्वारा..........................प्रस्तुत की गई तथा इसमें दर्शाया कि वह सभी अपेक्षाएं पूरी करता है और सभी संसाधन उसके पास है और ग्राहक को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम है।

III और ग्राहक ने मै. ....को सफल बोलीदाता ('संविदाकार') के रूप में संविदा मूल्यों की बोली प्रक्रिया और समझौते के अनुसार चयनित किया है.....................कुल राशि (केवल.....................रूपये) के लिए दिनांक.....................को संविदाकार को **स्वीकृति पत्र (एलओए)** सं................................सौंप दिया गया।

IV और ग्राहक यह इच्छा रखता है कि सुरक्षा सेवाएं (बाली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार) संविदाकार द्वारा उपलब्ध, निष्पादित, कार्यान्वित और पूरी की जाएंगी, और ऐसी सेवाएं देने के लिए संविदाकार की नियुक्ति की आशा रखता है।

V और संविदाकार यह स्वीकार करता है कि ग्राहक अपने परिसर में ऐसी सेवाओं के लिए अन्य संविदाकारों/पार्टियों के साथ संविदा कर सकता है यदि संविदाकार बोली दस्तावेज

में बताये गये निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में उसका दावा भी समाप्त हो जाएगा।

VI और इस संविदा की निबंधन और शर्तें पूर्णतः सक्षम और समान शक्ति वाली पार्टियां होने के रूप में ग्राहक और संविदाकार के बीच तय की गई है।

VII और संविदाकार ने ग्राहक के कार्यालय में सुरक्षा सेवाएं देने के लिए बोली दस्तावेजों में दर्शाई गई सभी निबंधन और शर्तों को पूर्णतः पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा वह इनका पालन करेगा, इसमे विफल होने पर ग्राहक द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी समय पर संविदा को रद्द करने का अधिकार है।

VIII ग्राहक और संविदाकार निम्निलिखत का अनुरक्षण करने के लिए सहमत है:

1. इस करार में (दोहराव सहित) मोटे शब्दों और वक्तव्यों का वही अर्थ होगा जो संबंधित संदर्भित संविदा दस्तावेजों में उनको दिया गया है।

2. निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रपत्र समझा जाएगा और इस करार के भाग के रूप में पढा जाएगा और आशय निकाला जाएगा। यह करार सभी अन्य संविदा दस्तावेजों पर लागू होगा।

(क) ग्राहक द्वारा जारी स्वीकृति पत्र (एलओए)।

(ख) ग्राहक द्वारा जारी प्रारंभ करने का नोटिस (एनटीपी)

(ग) संविदा की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के साथ बोली दस्तावेज सहित पूर्ण बोली, जैसा संविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई।

(घ) ग्राहक द्वारा जारी परिशिष्ट, यदि कोई है।

(ङ) आज तक इस संविदा करार का भाग बनाने वाला कोई अन्य दस्तावेज। (निष्पादन बैंक गारन्टी, बैंक गारन्टी)

(च) इस करार के अनुच्छेद के साथ जोड़ी गई प्रभार-अनुसूची।

(छ) समय-समय पर कार्यान्वित पूरक करार।

3. बाद में संविदा करार में किए जाने वाले किसी अपेक्षित परिवर्तन/सुधार/संशोधन पर चर्चा की जाएगी तथा दोनों पार्टियों द्वारा परस्पर सहमति ली जाएगी और ऐसे पूरक समझौते दोनों पार्टियों पर लागू होंगे तथा इस संविदा करार का भाग होंगे।

4. यह संविदा भारत के कानून के अनुसार शासित और निर्मित मानी जाएगी। प्रत्येक पार्टी संविदा की शर्तो के अनुसार मतभेद समाधान प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के अधीन होगी।

ix साथ ही प्रमाण के रूप मे पार्टियां तैयार किए गए करार को विनिर्दिष्ट दिन, महीने और वर्ष पर भारतीय कानून के अनुसार पालन करेंगी।

संविदाकार की ओर से हस्ताक्षरित

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का कार्यालय
की ओर से हस्ताक्षर

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली

बोली दस्तावेज सं.150/जीएस/97-2019 **दिनांक : 30.09.2022**

अनुबंध-12
निष्पादन बैंक गारंटी

(उचित मूल्य वाले गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर पर दी जाए)

दिनांक : ....

बैंक गारंटी सं.:...
गारंटी राशि:..
गारंटी अवधि:......................से..तक
गारंटी समाप्ति तिथि:...
प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि:...

जहां तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110124 कार्यालय ने (इसके बाद 'मालिक' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा असंगत न हो तो यह अपने विधिक प्रतिनिधियों, अनुवर्तियों और वारिसों को शामिल करता है) *[कृपया* स्वीकृति पत्र (एलओए) की स्वीकृति की तिथि डालें] (**''संविदा''**) के साथ [सफल बोली दाता का नाम डाले] ....(इसके बाद ''संविदाकार'' के रूप में संदर्भित जिसका वक्तव्य इस तथ्य के अलावा असंगत न हो तो अपने विधिक प्रतिनिधियों, अनुवर्तियों और वारिसो को शामिल करता है) और इसके भाग के रूप में अन्य विभिन्न दस्तावेज और बोली दस्तावेज संख्या [बोली दस्तावेज की संदर्भ संख्या डाले] दिनांक............................. [बोली दस्तावेज को जारी करने की तिथि डालें] में बताये गये निबंधन और शर्तों के आधार पर सुरक्षा सेवाओं (**''सुरक्षा सेवाएं''** का बोली में दिया गया अर्थ माना जाएगा) के निष्पादन, कार्यान्वयन और उन्हें उपलब्ध कराने के लिए संविदा का निष्पादन किया।

और जहां तक संविदा की एक शर्त है कि संविदाकार निष्पादन बैंक गारंटी उत्तरदायित्व और की गई आपूर्तियों के लिए संविदाकार के अन्य उत्तरदायित्व और संविदा के अंतर्गत उपलब्ध और कार्यान्वित सेवाओं सहित संविदा के देय और निष्ठावान निष्पादन के प्रति कुल संविदा राशि (इसके बाद इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटी की गई राशि **''गारंटी के रूप में दी गई राशि''** के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के 10% (दस प्रतिशत) के समान एक राशि के लिए नई दिल्ली की किसी शाखा में भारत में किसी निर्धारित बैंक से मालिक को एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। यह बैंक गारंटी यहां दी गई तिथि से इसके किसी समय विस्तार सहित गारंटी अवधि की समाप्ति तक की तिथि तक वैध होगी।

और जहां तक संविदाकार [''अनुसूचित बैंक'' का नाम डालें] (इसके बाद **बैंक** के रूप में संदर्भित) पर जिनका अपना पंजीकृत कार्यालय [पता डालें] .... है और संविदाकार के अनुरोध पर तथा संविदाकार द्वारा किये गये वादों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऐसी गारंटी देने के लिए सहमत है जो इस प्रकार है:

(i) बैंक इस गारंटी के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, मालिक द्वारा की गई मांग पर केवल संविदाकार की किसी पूछताछ या अधिसूचना के बिना आगे के किसी प्रमाण या शर्तों के बिना और आपत्ति आरक्षण, विवाद, अवलंब या विरोध के बिना और मालिक द्वारा दावा की गई गारंटी के रूप में दी गई राशि केवल संविदाकार से किसी पूछताछ या अधिसूचना के बिना मालिक द्वारा दावा की गई गारंटी राशि बताते हुए दावा की गई राशि संविदा के अन्तर्गत मालिक को देय होगी। इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में मालिक द्वारा बैंक से की गई ऐसी कोई मांग निर्णायक होगी और ऐसी मांग में मालिक द्वारा दावा की गई कुल राशि, जो भी हो, किसी कटौती या छूट या प्रतिदावों बिना बैंक अदा करेगा। मालिक को इस बैंक गारंटी के अंतर्गत असीमित संख्या में मांग करने का अधिकार होगा बशर्ते कि इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक द्वारा मालिक को अदा की गई सभी राशियों का औसत गारंटी राशि से अधिक नहीं होगा। पीबीजी मूल्यों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मांग के प्रत्येक मामले में, मालिक कीमत में संशोधन के लिए बैंक में मौजूदा पीबीजी को अभ्यर्पित करेगा।

(ii) तथापि, इस बैंक गारंटी के अंतर्गत बैंक की देयता किसी निश्चित राशि से अधिक नहीं होगी [गारंटी राशि के आंकडे यहां डालें] .... केवल)।

(iii) मालिक को बैंक के संदर्भ के बिना और संविदा के अंतर्गत मालिक को प्रदत्त किसी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग किसी समय या समय-समय पर स्थगित करने के लिए बैंक गारंटी को प्रभावित किये बिना तथा किन्हीं शक्तियों या अधिकारों को लागू करने के लिए या अनुमति देने के लिए या निश्चितता संबंधी कानून के अंतर्गत संविदाकार को दिये गये समय के कारणों के अनुसार होगा परन्तु प्रावधानों के लिए सुरक्षा देने के प्रभाव होंगे।

(iv) उपरोक्त बताये गये ढंग से बैंक से गारंटी राशि की वसूली के लिए मालिक के अधिकार इस तथ्य के कारण प्रभावित या रद्द नहीं होंगे कि संविदाकार द्वारा उठाये गये कोई विवाद या विवादों और /या कोई विवाद (विवादों) ऐसी गारंटी राशि और/या संविदा के संबध में किसी कार्यालय, अधिकरण या कोर्ट के सामने लंबित हैं।

(v) यहां गारंटी ऋण शोधन या रोकना, विघटन, संविधान में परिवर्तन या संविदाकार के दिवालियेपन से प्रभावित नहीं होगी परन्तु यह सभी रूपों और सभी उद्दश्यों के लिए प्रतिबद्ध और प्रभावी होगी जब तक कि ऐसी देयता या देयताओं के संबंध में मालिक के कारण सारी राशि का भुगतान प्रभावित नहीं हो जाता।

(vi) यह बैंक गारंटी भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित होगी और समझी जाएगी और इस बैंक को पार्टियां किसी विवाद या मत भेद, जो पैदा हो सकते हैं या इस बैंक गारंटी के संबंध में और इस बैंक गारंटी के अंतर्गत लागू करने के उद्देश्यों हेतु नई दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करेगें।

(vii) बडे अक्षरों में प्रयोग किये गये सभी शब्दों जिनको परिभाषित नहीं किया गया, का अर्थ संविदा के अंतर्गत प्रयोग के अनुसार निर्दिष्ट होगा।

(viii) उपर्युक्त के बावजूद इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत बैंक की देयता गारंटी राशि तक सीमित है और यह बैंक गारंटी संविदा के अन्तर्गत वारंटी अवधि के समाप्त होने पर समाप्त होगी।

(ix) जब तक कि इस बैंक गारंटी की समाप्ति तिथि से नियत अवधि के अन्दर इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत कोई मांग फाईल नहीं की जाती, तब तक इस बैंक गारंटी के अन्तर्गत सभी अधिकार मालिक से जब्त कर लिये जायेंगे और इसके अंतर्गत बैंक को सभी देयताओं से मुक्त और खारिज कर दिया जाएगा।

(x) तथापि, मालिक के विचारानुसार, यदि संविदाकारों के उत्तरदायित्वों जिनके प्रति इस बैंक गारंटी को दिया गया, को पूरा नहीं जाता या संविदा के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में संविदाकार द्वारा पूर्णतः निष्पादित नहीं किया जाता, तो संविदाकार के अनुरोध पर बैंक गारंटी को तब तक आगे बढ़ाने के लिए बैंक सहमत हो सकता है जब तक कि संविदाकार संविदा के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व पूरे नहीं करता।

(xi) हमारे पास ज्ञापन और समझौता अनुच्छेद के अंतर्गत इस बैंक गारंटी के पक्ष में जारी करने का अधिकार है तथा अधोहस्ताक्षरित के पास दिनांक.......................... [मुख्तारनामा तिथि डालें] को बैंक द्वारा उसे मुख्तारनामा के अंतर्गत यह करने की पूरी शक्ति है।

तिथि:

बैंक

बैंक की कॉरपोरेट सील

बैंक की ओर से गठित अटार्नी द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा

अनुबंध-13
बोली प्रतिभूति फार्म

सं. .... दिनांक..........................

सेवा में

निदेशक (कार्मिक), ... (इसके बाद 'मालिक' कहा गया है)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली

चूंकि मै. .... (इसके बाद 'बोलीदाता' कहा गया) ने बोली सं. .... दिनांक .... के अनुसार संविदा आधार पर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिये दिनांक .... को इसकी बोली प्रस्तुत की है। सभी ज्ञात व्यक्तियों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि हम .... में हमारा पंजीकृत कार्यालय .... है (इसके बाद 'बैंक' पुकारा जाए) .... की राशि में से बंधे हुए है जिसके लिए मालिक को भुगतान किया जाएगा, बैंक स्वयं को, इसके उत्तराधिकारियों को बाध्य करता है, तथा इन मौजूदा द्वारा निर्धारित करते है।

दायित्वों की शर्तें हैं:

1. यदि बोलीदाता, बोली फॉर्म पर बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापिस लेता है अथवा
2. यदि बोलीदाता, बोली वैधता की अवधि के दौरान, स्वयं अपनी बोली की स्वीकृति अधिसूचित करें

(क) संविदा को निष्पादित करने में विफल या इनकार करना, यदि अपेक्षित है;

अथवा

(ख) बोलीदाता के अनुदेशों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल या इन्कार करना

अथवा

(ग) मालिक की संतुष्टि के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से अपने कर्तव्यो के निष्पादन में विफल रहना या इन्कार करना।

हम मालिक को अपनी मांग रखने के लिए क्रेता के बिना, इसकी पहली लिखित माँग की प्राप्ति पर उपर्युक्त राशि तक भुगतान करने का वचन देते है बशर्ते कि इस में स्वामी द्वारा घटित शर्त अथवा शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए, दोनों शर्तों में से किसी एक के कारण इसके द्वारा दावा की गई राशि की माँग का औचित्य न ठहराया गया हो।

यह गांरटी बोली दस्तावेज के .... में निर्देशानुसार 120 दिनों तक तथा बोली वैधता की अवधि के बाद तीस (30) दिनों सहित तक लागू रहेगी तथा इस संदर्भ में कोई भी माँग विनिर्दिष्ट तिथि/तिथियों से पहले बैंक में पहुँच जानी चाहिए।

गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर
गवाह का पता

बैंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
की क्षमता में हस्ताक्षर
शाखा का पूरा पता
शाखा का दूरभाष नं.
शाखा का फैक्स नं.